हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1991

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुकवार, 15 मार्च, 1991

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(11)1
तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(11)26
विभिन्न विशयो का उठाया जाना	(11)26
वाक आउटस	(11)34
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– गायो के वध के लिए उत्तर प्रदे । में ले जाने संबंधी	(11)36
वक्तव्य– प ुपालन राज्य मंत्री द्वारा उर्पयुक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(11)36
घोशणा– सचिव द्वारा	(11)38
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(11)39

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(11)39
समितियो की रिपोर्टस पे ा करना	
(1) कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 31वीं रिपोर्ट	(11)40
(2) कमेटी औन ऐस्टीमेट्स की 23वीं रिपोर्ट	(11)40
(3) कमेटी औन गवर्नमैंट अ योरैंसिज की 22वीं रिपोर्ट	(11)40
(4) कमेटी औन दि वैलफेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्ट्स एण्ड ि ाडयूल्ड ट्राइब्ज की 16वीं रिपोर्ट	(11)41
बिल्ज–	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991	(11)41
(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1991	(11)46
(3) दि हरियाणा एण्ड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991	(11)50
(4) दि हरियाणा रुल्ज डिवैल्पमैंट (अमैडमैंट) बिल, 1991	(11)53
(5) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट) अमैडमैंट बिल, 1991	(11)55

(6) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट) अमैडमैंट बिल, 1991	(11)57
(7) दि पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991	(11)61
(8) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैंट) बिल, 1991	(11)64
(9) दि हरियाणा पब्लिक वक्फस (ऐक्सटैन ान आफ लिमिटे ान) बिल, 1991	(11)65
(10) दि हरियाणा मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्ज (टोल) बिल, 1991	(11)67
(11) दि पंजाब विपेज कौमन लैण्डज (रैगुले ान) हरियाणा अमैडमैंट बिल, 1991	(11)73
(12) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 1991	(11)78
(13) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी भाराइन बिल, 1991	(11)82
(14) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज) अमैडमैंट बिल, 1991	(11)84
(15) दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज	(11)86

(हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991	
सरकारी संकल्प– जल (प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण) सं ाोधन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 53) को ग्रहण करने सम्बन्धी	(11)88
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव– (1) वर्श 1989–90 के लिए हरियाणा राज्य जल प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की वार्शिक रिपोर्ट (बहस हुई)	(11)89
(2) वर्श 1987–88 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्शिक वित्तीय लेखे (पे ा नही हुआ)	(11)91
(3) हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग, 1990 जिसकी अध्यक्षता न्यायाधी ा गुरनाम सिंह ने की थी की रिपोर्ट (बहस हुई)	(11)92
(4) वर्श 1987–88 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग निगम लिमिटेड की 21वीं वार्शिक रिपोर्ट (पे ा नही हुआ)	(11)100

(5) वर्श 1988–89 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग लिमिटेड की 22वीं वार्शिक रिपोर्ट (पे ा नही हुआ)	(11)100
वक्तव्य– गृह मंत्री द्वारा मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान श्री सूरज भान, एम0 एल0 ए0 के घर पर हुए हमले संबंधी	(11)100
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(11)102

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 15 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होगे।

तारांकित प्र न संख्या 1276

यह प्र न पूछा नही गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, कैप्टन अजय सिंह यादव, सदन मे उपस्थित नही थे।

Government Schools Withut Floormats in the State

***1285. Shrimati Kamla Verma:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the Government is aware of the fact that most of the Governmnet schools in the villages and cities in the State are without floormats; if so, the time by which the floormats are likely to be provided in these schools?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): सरकार को विदित है कि कुछ राजकीय प्राथमिक विद्यालयो में फलोरमेट (टाट्–पट्टी) प्र्यापत नही है। टाट–पट्टी नश्ट होने वाली वस्तु होने के कारण,

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयो को नियमित तौर पर टाट–पट्टी उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न ील रही है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो पब्लिक स्कूलो की पढाई बडी महंगी हो रही है और आम आदमी का बच्चा वहां जा नही सकता लेकिन दूसरी ओर गावों के प्राइमरी स्कूलो की बात तो मै क्या करु, भाहरो के मिडिल स्कूलो या प्राइमरी स्कूलो के अन्दर बच्चो के बैठने के लिए कोई प्रावधान नही है। बच्चे बिना टाट–पटटी के जमीन पर ही बैठते है। इसलिए मै सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार गावों व भाहरो के स्कूलो के अन्दर बच्चो की आम सुविधाओ के लिए कोई प्रयास करेगी ताकि लोगो की रुचि पब्लिक स्कूलो से हटकर सरकारी स्कूलो की ओर ही रहे क्योंकि पब्लिक स्कूलो के अन्दर अपने बच्चो को पढाना एक साधारण आदमी के बस की बात नही है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै बहन जी को यह बता देना चाहता हूं कि इस साल साढे 27 लाख रुपये की टाट–पट्टी खरीदी जा रही है और यह काम हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जेल विभाग को टाट–पट्टी सप्लाई करने के लिए सौंपा गया है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि ि ाक्षा विभाग ने सारी ऐसटेबलि ामैंट के लिए कुल कितना रुपया रखा हुआ है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, स्कूलो में टाट–पट्टी नही, अस्पतालो में बट्टी नही। सरकार इस दयनीय स्थिती से कब उपर उभरेगी? क्या इसके लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रयास तो हो ही रहे है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि इस साल साढे 27 लाख रुपये की टाट–पट्टी खरीदी जा रही है। मै उन से यह जानना चाहता हूं कि वे साल के आखिर में साढे 27 लाख रुपये किस प्रकार से खर्च कर रहे है और सारा साल ये क्या करते रहे? पहले दिनो में इन्होने यह खर्चा क्यो नही किया? साथ में यह भी बतलाए कि यह जो टाट–पट्टी मंगवा रहे है, कितने स्कूलो के लिये मंगवा रहे है?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, टाट–पट्टी के लिए जेल विभाग को सरकार ने बहुत पहले से ही आर्डर दे रखा है। कुछ तो जेल विभाग ने सप्लाई की है और बाकी के लिए

उन्हे हिदायते दे रखी है कि वे जल्द से जल्द सप्लाई करे ताकि उस टाट–पट्टी को जल्द से जल्द स्कूलो में भिजवा दिया जाए।

श्री कैला ा चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बतलाया कि यह टाट–पटटी वाली आईटम समाप्त होने वाली आईटम है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि स्कूलो में टाट–पटटी बदले जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय के अन्दर यह टाट–पटटी बदली जाएगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, टाट–पटटी की एक साल के अन्दर अन्दर डिमांड कर लेते है। 1990–91 में प्राइमरी स्कूलो की 11 लाख 33 हजार 332 मीटर्ज टाट–पटटी की डिमांड थी जिसके विरुद्ध हम 4 लाख 3 हजार 661 मीटरर्ज जेल विभाग से लेकर सभी जिलो को भिजवा रहे है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अकसर बजट के पहले दस महीनो में पैसा खर्च न करके पिछले दो महीनो में खर्च पर जोर दिया जाता है और उन्ही दो महीनो में इधर उधर से टैन्डर काल कर लिये जाते है और काम पूरा करने का यत्न किया जाता है जो कई बार ठीक नही हो पाता। क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इसके क्या कारण है?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै बहन जी को यह बता देना चाहता हूं कि इधर उधर से टैण्डर काल नही किये जाते। यह आईटम केवल जेल विभाग से ही खरीदी जाती है न

कि किसी प्राइवेट आदमी से खरीदी जाती है। वहां से टाट–पटटी आने पर स्कूलो में भेजने का प्रबन्ध किया जाता है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी सरकारी कार्यलयो का व्यय होता है, वह पहले 10 महीनो तक तो नही किया जाता लेकिन पिछले दो महीनो में पैसे को खर्च करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि यह पैसा लैप्स न हो जाए। क्या सरकार अपनी इस नीति को सुधार लाने का प्रयास करेगी ताकि पैसा सही समय पर और सही कामो पर खर्च किया जा सके?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया है कि यह आर्डर हमने बहुत पहले से जेल विभाग को दे रखा था।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कितने ऐसे स्कूल है जिनमें टाट–पटटी नही है?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह तो नही कहा जा सकता कि कितने स्कूल है जिनमें टाट–पटटी नही है लेकिन मै सदन को वि वास दिलाता हूं कि हमने जेल विभाग को कह दिया है कि वह पूरी सप्लाई जल्द से जलद करे।

तारांकित प्र न संख्या 1311

यह प्र न पूछा नही गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री परमा नन्द, सदन में उपस्थित नही थे।

Construction of Roads

***1368. Shri Sita Ram Singla:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state the number of roads constructed in Gurgaon Assembly Constituency during the year 1989-90 together with the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 300 मीटर लम्बी एक पहुंच सडक गुडगांव फारुखनगर सडक से गांव धनकोट के राजकीय उच्च विद्यालय तक बनाई गई है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, गुडगांव में दिन बदिन आबादी बढ रही है। ऐसी सूरत के अन्दर सारे साल में केवल तीन सौ मीटर सडक बनी है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुडगांव से इनके पास कितनी प्रपोजल आई और उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल कितनी की हुई?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इन्होने पूछा था कि इस साल कितनी सडके बनी है। हमने एक सडक बना दी है। इसके अलावा आठ सौ मीटर की सडक गांव बालुपुर से नानक हेडी तक बनाई है। तीन और सडको पर काम चल रहा है। इसके अलावा 12 सडको की मुरम्मत की गई है। गुडगांव में तो बहुत काम हो

रहे है क्योकि वहां हुडडा के काम भी चल रहे है, वहां स्टेट हाई वे भी है और ने ानल हाई–वे भी वहां से जाता है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, ये अपने विभाग के बारे में बात करे, दूसरे विभाग की बात मत करे। मै जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कितनी प्रपोजल आई और इन्होने कितनी की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल दी?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, इन्होने प्रपोजल के बारे में नही पूछा था। मैने बताया है कि इसके अलावा तीन और सडको पर काम चल रहा है। वे है गुडगांव से फरुख नगर, वजीराबाद से धाटा ओर बजगेडा से जहाज पुर। इसके अलावा हमने 12 सडको की मुरम्मत का काम भी किया है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता दे कि इस सडक की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल 1987 से पहले की है या इस सरकार ने दी थी?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल 9–12–1985 को हुई थी।

श्री रामविलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, गुडगांव चुनाव क्षेत्र का यह सवाल है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्श 1990–91 के दौरान इनके विभाग ने इनके पास कितनी नई सडके बनाने के प्रस्ताव भेजे और उनमें से कितनो पर विचार किया गया, अगर नही किया गया तो क्यो नही किया गया?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, जो मेन सवाल है उसमें यह नही पूछा गया था कि वहां पर कितनी सडके बनाने का प्रस्ताव था और उनमें से कितनी सडके बना दी गई है और कितनी बाकी रहती है। फिर भी मैने बता दिया है कि दो सडको पर काम पूरा हो चुका है, तीन सडको पर काम चल रहा है और 12 सडको की मुरम्मत की गई है।

Science & Technology Park at Ambala

***1319. Shri Anil Kumar Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a science & Technology Park at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid park is likely to be opened?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) हां।

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई0 डी0 बी0 आई0) को विचारार्थ भेजा हुआ है। अभी कोई समय सीमा नही बताई जा सकती।

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट को बनाने की घोशणा वर्श 1987 के आखिर में या वर्श 1988 में भ्रुरु की गई थी। चार साल बीत जाने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को विचारार्थ भेजा हुआ है। मै आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा गया और अब उस पर फालोअप ऐक ान क्या हो रहा है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव फरवरी महीने में भेजा गया था। जब तक भारत सरकार और आई0 डी0 बी0 आई0 पैसा नही देंगे तब तक इस पर काम भ्रुरु नही हो सकता।

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट पर कितने पैसे खर्च होने की सम्भावना है और इस प्रोजैक्ट पर जितना पैसा खर्च होगा उसमें से भारत सरकार, हरियाणा सरकार और आई0 डी0 बी0 आई0 की तरफ से कितना कितना पैसा दिया जाएगा?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यह प्रौजैक्ट 10 एकड जमीन पर बनना है और इस पर 1करोड 67लाख रुपए खर्च होंगे जिसमेंसे हारटोन साढे 24 लाख रुपए, हरियाणा सरकार 21 लाख 25 हजार रुपए, भारत सरकार 38 लाख रुपए और आई0 डी0 बी0 आई0 83 लाख 75 हजार रुपए देगा।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट को बनाने के लिए कुछ पैसा केन्द्रीय सरकार ने खर्च करना है। यह मामला तीन साल से लटका हुआ है। अब उन्होने उसकी प्रोपोजल फरवरी के महीने में इसलिए भेजा है क्योंकि यह क्वै चन माननीय सदस्य ने फरवरी में ही आपकी सेवा में दिया है। मैम्बर साहब ने क्वे चन फरवरी में दे दिया इसलिए उसकी प्रपोजल भेज दी वरना पता नही भेजी जाती या नही भेजी जाती। मै यह जानना चाहूंगा कि इस प्रौजैक्ट की प्रापोजल भारत सरकार को भेजने में डिले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, इसमे कोई किसी प्रकार की डिले नही हुई है। इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार नही हुई थी। इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह प्राजैक्ट 10 एकड जमीन पर बनना है। मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह जमीन ऐक्वायर कर ली गई है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, अभी तो उस प्रोजैक्ट के बारे में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि भारत सरकार और आई0 डी0 बी0 आई. मान जाएंगे तो उसके बाद ही

जमीन ऐक्वायर की जा सकती है। पहले जमीन ऐक्वायर करने का क्या फायदा है?

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इस साईंस एण्ड टैक्नोलोती पार्क की प्रोपोजल बनी है वह किन औब्जैक्टस को सामने रख कर बनाई गई थी? इसके अलावा मै यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस साईंस एंड टैक्नोलोजी पार्क और डिजनीलैंड (अम्यूजमैंट पार्क) में सिमीलैरिटी है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, कादियान साहब पी0 एच0 डी0 है इसलिए उनको खुद ही इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के साईंस एण्ड टैक्नोलोजी पार्क किसी और जिले में भी बनाने की प्रोपोजल सरकार के पास आई है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, भिवानी और कुरुक्षेत्र जिले से आई है।

Recruitment of Drivers and Conductors in Transport Deptt.

***1341. Shri Muni Lal:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the district-wise number of Drivers and Conductors recruited in the Transport Department during the last three and a half years togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Csters and Backward Classes amongst them; and

(b) whether the posts for the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes have been filled up according to the prescribed quota?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक):

(क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'ए' मे दी गई है जोकि विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी नही, इसमें थोडी सी कमी है।

अनुबन्ध 'ए'

क्रमांक	डिपो का नाम	चालको की कुल संख्या	अनु–सूचित जाति से संबंधित	पिछडे वर्ग से संबंधित	परिचालको की कुल संख्या	अनु–सूचित जाति से संबंधित	पिछडे वर्ग से संबंधित
1	अम्बाला	75	13	6	79	16	8
2	जीन्द	125	85	9	71	12	10

3	कैथल	74	5	6	32	7	4
4	सोनीपत	97	0	11	95	18	8
5	चण्डीगढ	146	20	17	132	23	15
6	करनाल	112	2	12	116	25	12
7	यमुनानगर	84	3	10	73	12	11
8	कुरुक्षेत्र	36		3	35	6	4
9	गुडगांव	76	3	6	46	7	4
10	रेवाडी	73	5	5	53	8	3
11	भिवानी	166	14	14	38	7	5
12	फरीदाबाद	74	12	6	32	6	3
13	रोहतक	144	6	13	97	30	12
14	हिसार	70	1	7	91	8	7
15	सिरसा	92	3	17	52	14	11
16	दिल्ली	48		5	10	1	1
17	फतेहाबाद	70	2	8	51	7	7

	कुल संख्या	1562	104	155	1103	207	125

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, इस विभाग में 1562 चालको की भर्ती की गई है जिनमें से 104 चालको की पोस्टो पर ि ाड्यूल्ड कास्टस कैंडीडेट लगाए है जबकि रिजर्वे ान के हिसाब से 306 लिए जाने चाहिए थे। वैलफेयर ऑफ ि ाड्यूल्ड कास्ट्स एंड ि ाड्यूल्ड कास्ट्स कमेटी का मैम्बर होने के नाते मुझे यह पता है कि भिन्न–भिन्न विभागो में रिजर्वे ान का कोटा पूरा नही है, बहुत बैकलौग है और हर साल बैकलौग बढता ही जा रहा है। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 202 चालको का बैकलौग है क्या इसकी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और यह बैकलौग किन कारणो से रह गया?

श्री वेद सिंह मलिकः स्पीकर साहब, ड्राईवर के लिए लाइसैंस और तजुर्बे की जरुरत होती है और उस समय रिजर्व कोटे के हिसाब से ि ाड्यूल्ड कास्टस कैंडीडेट यह योग्यता पूरी नही करते थे इसलिए यह बैकलौग रह गया।

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हजारो बेरोजगार ड्राईवरो के नाम रोजगार कार्यालयो में दर्ज है। क्या उनको ये लगाने की कृपा करेंगे?

श्री वेद सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मै इन्हे बताना चाहता हूं कि एस0 एस0 एस.0 बोर्ड के अलावा एम्पलायमैंट एक्सचेंज से हमने एस0 सी0 के 51 और बी0 सी0 के 66 ड्राईवर लिए है। इसी प्रकार से एस0 सी0 के 42 और बी0 सी0 के 29 कन्डक्टर्ज भी रोजगार विभाग के जरिए लिए है।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, 28—2—91 को सरकार की तरफ से एक स्पे ाल गजट नोटिफिके ान निकाला गया है जिसके पैरा 1 के सब पैरा 2 में यह लिखा है कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा भर्ती कर ली जाये और जो रिजर्व कोटे की वैकेंसी बचेंगी उनको बाद में भर लिया जायेगा। मै सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या एस0 सी0 और बी0 सी0 के लोगो के साथ ये भेदभाव करके उनको डिबार तो नही करना चाहते क्योकि ये उनका कोटा पूरा नही करना चाहते? इस बारे में मंत्री महोदय कृप्या स्थिती स्पश्ट करें?

श्री वेद सिंह मलिकः स्पीकर साहब, रिजर्वे ान कोटे को भी अव य पूरा किया जायेगा। जैसा मै पहले बता चुका हूं कि ड्राईवर्ज के लिए लाइसैंस और 5 साल का तजुर्बा होना जरुरी है। हमें एस0 सी0 के ऐसे कम लोग मिलते है। हम पूरी कोि ा ा करेंगे कि एस0 सी0 की खाली पडी पोस्टो को भी जल्दी से जल्दी भर लिया जाये।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, जो संख्या चालको ओर परिचालको की इन्होने अपने लिखित जवाब में दिखाई है उसमें से एस0 एस0 एस0 बोर्ड और दूसरी जगहो से कितने लोग लिए गए है। लिस्ट में दी गई सूचना के आधार पर तो ड्राइवर्ज की यह संख्या सिर्फ साढे छः प्रसैंट बैठती है। मै जानना चाहता हूं कि इनको क्या एस0 सी0 के लडके नही मिल रहे या और किसी कारण से इन खाली पडी पोस्टो को नही भरा जा रहा है। मै यह भी इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले सै ान में इन्होने कन्डक्टर्ज की संख्या 1503 दिखाई थी और अब जवाब में 1103 दिखा रहे है, इसलिए मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसमें से कौन सी फिगर ठीक है?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, एस एस एस बोर्ड से एस सी के 53 और बी सी के 89 ड्राईवर्ज लिए है। इसी तरह से एस सी के 165 और बी सी के 96 कन्डकटर्ज लिए गए है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो भर्ती इन्होने की है क्या यह सारी एस0 एस0 एस0 बोर्ड और रोजगार कार्यालय के माध्यम से की है या किसी और प्राइवेट एजेंसी के जरिए भी की है?

श्री वेद सिंह मलिकः स्पीकर साहब, हमने यह भर्ती एस0 एस0 एस0 बोर्ड और रोजगार कार्यालय के माध्यम से की है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि एस एस एस बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई थी उन सभी को नौकरी पर रख लिया गया है। (विघ्न्) मै यह इसलिए पूछना चाहता हूं क्योकि जो भर्ती की गई है उसमें चण्डीगढ और दिल्ली के लोग कहां से आ गए?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, एस0 एस0 एस0 बोर्ड से जो लिस्ट आई थी उसके अनुसार हमने सारे लोग तो नही लगाये। लेकिन मै स्थिती स्पश्ट करते हुए बताना चाहूंगा कि पहले एक व्हीकल के पीछे चार आदमियो का नाम फिक्स किया हुआ था। हमने ओवर टाईम कम करने के लिए और रोजगार देने के लिए यह नाम 1–4 से बढाकर 1–7 कर दिया था लेकिन बाद में श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने अपने मुख्य मंत्री काल में यह नाम फिर 1–7 से घटाकर 1–4 कर दिया। इस वजह से जो लिस्ट वहां से आई थी उस हिसाब से हम इन्हे नही लगा पाये।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एस0 सी0 और बी0 सी0 के काफी कम लोग लगाये है जिसकी वजह से इनका बैकलॉग भी चला आ रहा है। मै मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब एस0 एस0 एस0 बोर्ड के माध्यम से इनके पास बी0 सी0 के कैन्डीडैटस मिल सकते है तो फिर इनको क्यों नही लगाया जाता? एक तरफ तो कहते है कि मिलते नही ओर दूसरी तरफ मिलते है तो लगाते नहीं। मै एक ऐसे बी0 सी0 कंडक्टर का रोल नम्बर

आपको दे सकती हूं जिसको एस0 एस0 एस0 बोर्ड ने चुन लिया पर नियुक्ति नही की। क्या ये बताएंगे कि उसका क्या कारण है?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, बी0 सी0 के कैन्डीडैटस तो हमने पहले ही ज्यादा रखे हुए है, उनमे कोई बैकलॉग नही है।

श्री योगे ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एस0 एस0 एस0 बोर्ड से जिन नामो की सिफारि ा की गई थी क्या उन नामो की सिफारि ा में कमी रह गई थी जिसकी वजह से इनको बाद में बजाये एम्पलायमैंट एक्सचंज के भी डायरेक्ट भर्ती करनी पडी?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, एस0 एस0 एस0 बोर्ड से हमारे पास ड्राईवर्ज की 1527 की लिस्ट आई थी। इसमें से 305 एस0 सी0 के और 153 बी0 सी0 के ड्राईवर्ज थे।

श्री भगवान सहय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने योग्य मंत्री जी से स्पेसिफिक्ली यह जानना चाहता हू कि 1562 चालक तथा 1103 कंडक्टर जो भर्ती किए गए है उनमें से कितने अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा और कितने अन्य साधनो से लिए गए और जो एस0 एस0 एस0 बोर्ड द्वारा उम्मीदवार सिफारि ा किए गए है क्या उन सभी को सेवा में लेने बारे सरकार विचार करेगी?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास स्टाफ पहले की सरप्लस है, अगर जरुरत होगी तो बाद में उनको लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि चण्डीगढ डिपो के लिए 146 और करनाल डिपो के लिए 112 ड्राईवर्ज भर्ती किए गए है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो रिक्रूटमैंट की गई है वह जिलावाईजकी गई है या कि जैसे श्री धर्मवीर सिंह जी के समय एक ही हलके से भर्ती की गई थी, वैसे ही एक ही हलके से भर्ती की है?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नही है।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस0 सी0 का कोटा पूरा करने का ताल्लुक है इसमें दो आर्डर्ज़ जारी हुए है। माननीय सदस्य, श्री भागमल जी ने 28 फरवरी का नोटिफिके ान का जिक्र किया है जिसमें एक आर्डर में यह कहा गया है कि भर्ती में बैकलॉग पूरा कर लिया है और दूसरे आर्डर में कन्ट्राडिक्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं यह कानट्राडिक ान क्यों है?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नही है।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो कण्डक्टर्ज और ड्राईवर्ज भर्ती किए गए है उनमें एस0 सी0 का जो बैकलॉग है उसका क्या कारण है, क्या इन योग्यताओ के उम्मीदवार उपलब्ध नही हुए अथवा उनको जानबूझ कर नही लिया गया?

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि योग्यताएं पूरी करने वाले एस0 सी0 कैंडीडैट्स उपलब्ध नही थे और जो बैकलॉग है उसको जल्दी ही पूरा किया जाएगा।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ड्राईवरो के जो खाली पद है। (विघ्न्)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, 'खालिस्तान' कही नही है। (हसी)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, खालिस्तान की मांग तो इन्ही के नेता ने की है हमने कभी खालिस्तान की मांग नही की है। यह मांग तो इनके नेता ने खुद ही की हुई है। (हंसी)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, खालिस्तान किसी भी सूरत में नही बनने दिया जाएगा। हमारे किसी नेता ने भी खालिस्तान की मांग नही की है ये तो इन्ही के नेता है जो ऐसी मांग करते है। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एस0 एस0 एस0 बोर्ड की जो लिस्ट है उसमें जो कैंडिडेट्स है क्या उन सभी को नौकरी मे ंलेने पर सरकार विचार करेगी?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी बताया है कि हमारे पास स्टाफ सरप्लस है। जैसे जैसे जरुरत पडेगी इस लिस्ट में से उम्मीदवारो को लिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो ड्राइवर्ज और कण्डक्टर्ज़ भर्ती किए गए है उनमें से कितने सीधी दरखास्त ले कर भर्ती किए गए है, कितने एस0 एस0 एस0 बोर्ड के जरिये भर्ती किए गए है और कितने अन्य साधनो से भर्ती किए गए है?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एस एस एस बोर्ड से ड्राइवर्ज एस0 सी0 के 53 लिए गए है और बी0 सी0 के 89 लिए गए है। .....(ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब आप बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, हम तो आपके आदे ा को मानकर बैठ जाते है लेकिन आप इन सत्तापक्ष वालो को भी तो बैठने को कहिए।

Mr. Speaker: I request every body to take his seat please.

श्री ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि कब और कितने पद खाली पडे है?

श्री वेद सिंह मलिकः कोई स्थान खाली नही पडा है।

Electricity Sub-Station in Thanesar Constituency

***1303. Shri Ashok Kumar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Electricity Sub-Station in Thanesar Constituency during the year 1991&92; and

(b) if so, the location thereof togetherwith the time by which it is likely to be set up?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) पोपली के पास 132 के0 वी0 उप बिजली घर (सब–स्टे ान) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सब–स्टे ान (उप बिजली घर) वर्श, 1992–93 के दौरान चालू होना सम्भावित है।

श्री अ ाोक कुमारः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह सब–स्टे ान कब मंजूर हुआ था और इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अब तक हुडडा से इसके लिए जमीन ईयरमार्क करा दी गयी है। इसी वर्श के अन्दर उस पर काम भाुरु हो जाएगा और वर्श 1992–93 के अन्दर यह काम समाप्त हो जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या 132 के0 वी0 का सब–स्टे ान सीवन, जिला कैथल, के अन्दर अन्डर कंस्ट्रक ान है, अगर है तो कब तक वह बन जायेगा?

श्री अध्यक्षः यह सवाल सीवन के बारे में नही है। आप सवाल तो पढिये।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मंत्री जी भाायद जवाब दे रहे है। वे अपने कागज देख रहे है।

Mr. Speaker: No, I would not permit. it is not possible to reply off hand. He has a human brain and is not a computer (Interruptions).

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में 132 के0 वी0 कितने सब स्टे ान बनाने का प्रस्ताव बिजली बोर्ड के पास पडा हुआ है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, 132 के0 वी0 के सब–स्टे ान इस साल जो हम बनाने जा रहे है, वे चार है। हम इनको इस साल में पूरा कर लेंगे। बाकी कुछ 192–93 में भी बनायेगे। एक साल के अन्दर तो ये सारे पूरे नही हो पाएंगे इसलिए इस साल में हम 132 के0 वी0 के चार ही सब–स्टे ान पूरे कर सकेगे।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। (विघ्न्)

श्री अध्यक्षः आज तो आप टौर में है। लगता है कुछ रंग दिखाओगे।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, अभी कुछ सदस्यो ने पगडी का जिक्र कर दिया। मै जरा इस बारे में स्पश्टीकरण देना चाहता हूं (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Please put a supplementary.

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, जहां तक पगडी के बारे में बात है, मै इस महान सदन के सदस्यो को वि वास दिलाना चाहता हूं कि अगर यह पगडी लोक सभा में गयी तो यह सिर कट जायेगा लेकिन गज्जक और रेवडियां बांधकर कभी राजीव गांधी के चरणे में झुकेगी नही। (व्यवधान एवं भाोर) मै इसमें रोहतक से गज्जक और रेवडियो बांध कर नही ले जाउंगा। मैने

लोगो को वि वास दिलाया है। यह पगडी उन लोगो की है जिन्होने मेरे सिर पर इसे बांध रखा है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Mr. Kataria, please put a supplementary.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मै अपने साथी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मेरा रादौर हल्का जो रिकार्ड तोड गेहूं, जीरी और गन्ना पैदा करता है, क्या इस क्षेत्र के अन्दर 132 के0 वी0 के सब–स्टे ान खोलने की इस साल या अगले साल में कोई प्रोपोजल है?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सबसे ज्यादा अहमियत कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की हम दे रहे है क्योकि वहां पर बिजली की ज्यादा आव यकता है और वहां पर ओवर लोडिंग भी है। इसके अलावा उन्होने पगडी की बात छेड दी है तो मै समझता हूं कि रेवडियो का जिक भी जरुरी है। इसमें कोई दो राय नही है कि जब भी कोई ऐग्रीमैंट होता है, चाहे वह पोलीटीकल ऐग्रीमैंट हो, चाहे सो ाल ऐग्रीमैंट हो या कोई भी किसी किस्म का ऐग्रीमैंट हो तो उसमें निभानी पडती है। जिस मैरिज का इन्होने जिक किया, उसका सब को पता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी रेवडियां दी थी। हमने इनको खुब रेवडियां खिलाई। बैड–रुम ऐग्रीमैंट था। बकायदा स्पीकर साहब, हमने इनको रेवडियां खिलाई और मलाई वाला दूध भी पिलाया लेकिन स्पीकर साहब, जो छाछ हुआ करती है, वह जैसे ठहरती नही है ऐसे ही ये भी नही ठहरे।

जब नही ठहरे तो हमने दूसरी पार्टी को आजमाना चाहा। जब वह भी किल्ले से भाग गयी तो हमने उसको भी परे किया और पब्लिक के सामने आ गये। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी को भागने वाली बात याद आ रही है। मै एक महिला की बात बताना चाहता हूं। उसके बच्चे जब स्कूल में पढने गए तो वहां पर पूछा गया कि तुम्हारी जाति, बिरादरी क्या है। वे कहने लगे कि पहले तो थे हम जुलाहे, फिर हुए राजपूत और अब हुए दर्जी और आगे मां की मर्जी। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: कृप्या बैठिए। नैक्सट क्वै चन।

Vacant Post in Schools/Colleges

***1374. Shri Balir Singh Chaudhri/Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the year wise total number of posts of teachers/lecturers lying vacant in the Primary, Middle, High Senior Secondary Schools and Colleges in the State during the period from 1988 to-date; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to fillup these posts?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह):

(क) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) स्कूलो में रिक्त पद भीघ्र भरे जाने की संभावना है। कालेज प्राध्यापको की भर्ती का मामला भी विचाराधीन है।

सूचना

राजकीय विद्यालयो एवं राजकीय महाविद्यालयो में वर्शवार रिक्तियो का विवरण

पद	दिसम्बर 1988	दिसम्बर 1989	दिसम्बर 1990
प्राध्यापक (विद्यालय)	118	221	596
मास्टरज / मिस्ट्रैसिज	193	809	1252
अध्यापक (सी0 एंड बी0)	348	471	672
जे0 बी0 टी0 अध्यापक	1562	1872	2982

महाविद्यालय (प्राध्यापक)	
1988	241
1989	92

10:00 बजे

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, पिछले सै ान में सरकार ने कहा था कि जल्दी टीचर्ज की सारी रिक्तियां भर देंगे लेकिन वे रिक्तियां भरी नही गई और इस कारण विधार्थियो का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो स्टेटमैंट रखी है उससे पता लगता है कि हर साल रिक्तियां बढती ही गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है और ये रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इस सरकार का सत्ता में आने के बाद निरन्तर प्रयास रहा है कि ये रिक्तियां जल्दी से जल्दी भर दी जाएं। इसलिए हमने सरकार के माध्यम से एस एस एस बोर्ड को रिक्तियां भेजी, सी0 एण्ड बी0 टीचर्ज की 1200 के करीब वेकेन्सीज भेजी और जे0 बी0 टी0 टीचर्ज की 3 हजार के करीब भेजी। जिसमें से 1988 के बाद 360 मिस्ट्रसिज लगा दी है और उनको ज्वायन करवा चुके है। 611 सी0 एंड वी0 टीचर्ज को ज्वाइन करवाया है। स्पीकर साहब, एस0 एस0 एस0 बोर्ड ने दो साल तक मास्टर्ज की सिलेक ान नही की और न ही जे0 बी0 टी0 टीचर्ज को सिलैक्ट किया। इस कारण सरकार ने इस पर विचार किया

और एस0 एस0 एस0 बोर्ड के परव्यू से ये पोस्ट्स निकाल ली। कैबिनेट ने फैसला किया कि डिपार्टमैंट के थ्रू इनको डायरेक्ट भरा जाए। इन पोस्ट्स के लिए ऐडवरटाइजमैंट की गई। एस0 एस0 मास्टर्ज ओर जे0 बी0 टी0 टीचर्ज के लिए ऐडवरटाइजमैंट की गई। जे0 बी0 टी0 टीचर्ज के इन्टरव्यू हो चूके है और लैक्चरार के इन्टरव्यू चल रहे है और उनको भी जल्दी ही भर लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, जो स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी गई है उससे पता चलता है कि लैक्चराइज की पोस्ट्ज 1988 में 118 थी, 1989 में 221 थी और 1990 में 596 हो गई। इसका मतलब यह है कि हर साल वैकेनीज बढती ही गई है। इसी तरह से कालेजिज़ में 1988 में 241 थी, 1989 में 92 थी और 1990 में 117 थी। मंत्री महोदय ने बताया है कि जे0 बी0 टी0 टीचर्ज और एस एस मास्टर्ज की वैकेन्सीज को बोर्ड के परवयू से निकाल दिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि कही बोर्ड के परव्यू से निकालने का कारण यह तो नही कि बोर्ड में और सरकार में कोई मतभेद पैदा हो गया हो और इसलिए ये रिक्तियां बोर्ड नही भर पाया?

Mr. Speaker: Comrade Sahib, you put a specific supplementary, otherwise I will call the other man.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमैंटरी यह है कि कुछ कालेजिज तो ऐसे है जहां प्रिंसिपल ही नही है।

मेरा अपना कालेज है वहां पर मै पिछले दो तीन साल से देख रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल नही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इसका क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि सरकार में और बोर्ड में कोई मतभेद नही था। एस0 एस0 एस0 बोर्ड द्वारा सारी वेकेन्सीज मैरिट पर भरी जाती है लेकिन एस0 एस0 एस0 बोर्ड के पास दूसरे डिपार्टमैन्ट की वेकेन्सीज भरने का काम बहुत ज्यादा है इसलिए उनकी सिलेक ान नही हो पाई। एस0 एस0 एस0 बोर्ड के पास ज्यादा लोड होने के कारण समय लग जाता है। अब एस0 एस0 एस0 बोर्ड के परव्यू से ये वेकेन्सीज निकाल ली है। कालेजिज़ में 1990 में 117 वेकेंसीज थी और ये अधिकतर रिजवर्ड कैटेगरी की है और सूटेबल कैंडिडेटस नही मिल रहे है।

श्री रण सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ि ाक्षको के जो विभिन्न पद खाली पडे है, उनको भरने का सरकार का क्या क्राइटेरिया है? उन को भरने के लिए मैरिट के कितने और इंटरव्यू के कितने नम्बर रखे जाते है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह गोपनीय होता है लेकिन फिर भी सदस्य महोदय की जानकारी के लिए मै बता देता हूं। कुल नम्बर 100 जिसमें से 15 नम्बर इंटरव्यू के और 50 नम्बर

ऐजूके ान क्वालिफिके ान के होते है। इनमें लैक्चरर्ज जो कि फर्स्ट डिवीजन हो, उसको पूरे के पूरे 50 नम्बर। सैकिण्ड डिवीजन वाले को 45 और बी0 एड0 फर्स्ट डिवीजन हो, उसको पांच, बी0 एड0 सैकिण्ड वाले को 3, थर्ड डिवीजन वाले को 2। हायर ऐजूके ान के लिए 5ए एम0 फिल0, पी0 एच0 डी0 के लिए 5, और सेकिण्ड के लिए 3, स्पोर्टस के 10 और दो साल से उपर के टीचिंग ऐक्सपीरिऐन्स के लिए 10 व कल्चरल ऐक्टीवीटीज के लिए 5। ये टोटल नम्बर बनते है 100।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, इस समय 1196 पद स्कूलो में व 450 नइ रिक्त पडे है कालेजिज़ में। एक तरफ तो पढे–लिखे नौजवान बेरोजगार है और दूसरी तरफ स्कूलो व कालेजो मे टीचर्ज न होने की वजह से बच्चो की पढाई का नुक्सान हो रहा है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो टीचर्ज रिटायर्ड है और जिनका रिकार्ड वगैरह भी ठीक है, एम0 फिल0 भी है, क्या उनको एक एक साल के लिए सरकार खाली पडे पदो के विरुद्ध लगाने का विचार रखती है ताकि बच्चो की पढाई का नुक्सान न हो?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्लास थ्री 54000 एम्पलाईज को सरकार ने अभी रैगुलर किया है। उनमें से 10 हजार के करीब टीचर्ज, मास्टर्ज व लैक्चरर्ज है। आज की तारीख मैं जितनी वेकेन्सीज पडी है उनके लिए हम इंटरव्यू ले रहे है और उन पदो को भीघ्र ही भर दिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, एक तो एस0 एस0 एस0 बोर्ड से सिलैक ान पैंडिंग पडी है और दूसरी और नौजवानो में बेरोजगारी है। क्या सरकार ने इस मामले में कोई परमानैंट पालिसी बनाई है ताकि रिक्तियो को भरा जा सके। क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का प्रयत्न करेगे कि आज की तारीख में कितनी रिक्तियां है और उन रिक्तियो को कब तक भर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्षः इस बारे मे पहले ही बताया जा चुका है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, यहां पर कालेजिज व स्कूलो की रिक्तियो के बारे में बताया गया कि इतनी इतनी रिक्तियां स्कूलो और कालेजो में पडी है जिनको इंटरव्यू लेकर जल्दी ही भर दिया जाएगा। मै इनसे यह जानना चाहती हूं कि जो गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल्ज है उन में जो स्वीकृत पोस्टे थी, वे आज तक क्यों भरी नही गई है? इस के क्या कारण है? फिगर्ज इनके पास होंगी। क्या ये यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो वर्शो में गवर्नमैंट ऐडिड स्कूलो में कितनी रिक्त पडी पोस्टे स्वीकृत की गई है?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए यदि ये सैपरेट नोटिस दे तो हम बता देंगे।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो 7000 के करीब टीचर्ज की पोस्टें स्कूलो व कालेजो में रिक्त पडी

है और दूसरी और बेरोजगारी भी है। तीसरे, छात्र पिछले तीन महीनो से रिजर्वे ान वाले भाोर भाराबे के कारण पढाई से बिल्कुल अनटच रहे है और उनकी पढाई का काफी नुक्सान हुआ है। तो मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे विधार्थियो को किसी तरह से कम्पनसेट करने का विचार रखती है?

Mr. Speaker: This is no supplementary, Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि कालेजो के अन्दर जो अध्यापक 15–15 साल से ऐडहॉक पर लगे हुए है उनको पक्का करने पर विचार किया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ऐसे केसिज पर विचार कर रहे है।

Mini Secretariat at Rohtak

***1350. Dr. Raghuvir Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Sectretariat at Rohtak; and

(b) if so, whether the land for the purpose has been acquired so far?

राजस्व मंत्री (श्री सचदेव त्यागी):

(क) जी हां।

(ख) कोई प्राइवेट भूमि अभिग्रहित नही की गई है। यह 15.26 एकड सरकारी भूमि पर बनाया जा रहा है।

डा0 रघुवीर सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये मिनि सैक्रैटेरिएटस बनाने की प्रपोजल जिन उद्दे यो से भ्रुरु की गई थी क्या ये उनको पूरा करते है? रोहतक के मिनि सेक्रेटिरिएट की ऐस्टीमेटिड कास्ट कितनी है?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, जनता की सुविधा के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालयो पर सभी सरकारी कार्यालयो को एकत्रित करने के लिए संयुक्त कार्यालय भवन बना रही है। इन भवनो को लघु सचिवालय कहा जाता है। इन भवनो का निर्माण कार्य फेजिज में किया जाता है। इनको पांच ब्लाको में बनाया जाता है। ब्लाक–1 में कार्यकारी न्यायालय तथा कार्यालय तथा उपायुक्त का मुख्य कार्यालय ब्लाक होता है। ब्लाक–2 में प्र ाासकीय ब्लाक होता है। ब्लाक–3 मे अन्य जिला कार्यालयो को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए पांच मंजिला भवन होता है। ब्लाक–4 न्यायायिक ब्लाक होता है तथा ब्लाक–5 लिटीगैंट्स ब्लाक होता है। इसके अलावा ब्लाक 2,4 व 5 का निर्माण कार्य फेज–1 के अन्तर्गत किया जाता है। ब्लाक नम्बर 1 और 3 दूसरे फेज मे कवर होते है। रोहतक के मिनि सचिवालय में फेज 1 के

प्र ाासकीय ब्लाक के एक भाग का निर्माण हो चुका है। रोहतक मे लघु सचिवालय 15.26 एकड सरकारी भूमि पर बनाने का निर्णय जून, 1984 में लिया गया था। इसके फेज–1 के प्र ाासकीय ब्लाक का निर्माण करने बारे 4671700 रुपए की प्र ाासकीय स्वीकृती दिनांक 9 अगस्त, 1984 को जारी की गई थी। दिनांक 26 मई, 1989 को दुबारा फिर 2589000 रुपए की प्र ाासकीय स्वीकृती लघु सचिवालय, रोहतक का विस्तार करने के लिए जारी की गई। स्पीकर साहब, 1991–92 में न कामो के लिए दो सौ लाख रुपए प्रस्तावित किए गए है जिसमें से 6 लाख रुपए रोहतक के लिए है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पानीपत जिले के अन्दर मिनि सक्रेटेरिएट पर कब काम भाुरु होगा और वह कब तक बन जाएगा?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, पानीपत में 66 एकड जमीन कैम्पिंग ग्राउंड की है, उसका डिस्पयूट है। केन्द्रीय सरकार तो कहती है कि वह जमीन उसकी है और हरियाणा सरकार कहती है कि यह जमीन हमारी है। इसका फैसला होते ही वहां पर काम भाुरु करवा देंगे।

डा0 रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है। मैने पूछा था कि रोहतक का मिनि सैक्रेटेरिएट उन रिक्वायरमैंटस या कंडी ांज को पूरा करता है जिन आबजैक्टस को लेकर यह योजना भाुरु की गई थी?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, हमने 16 के 16 जिलो में मिनि सैक्रेटेरिएट बनाने का निर्णय लिया हुआ है। ये रिक्वायरमैंट को देख कर ही बना रहे है?

श्री राम विलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताऐं कि सब डिवीजन लेवल पर भी ऐसे मिनि सचिवालय बनाए जाएंगे, अगर हा, तो क्या महेन्द्रगढ में भी बनाया जाएगा?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, पहले डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बनेगे उसके बाद इस पर विचार करेंगे।

श्री ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, अम्बाला के लघु सचिवालय का केवल एक ही ब्लाक बना है। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का उस लघु सचिवालय का दूसरा ब्लाक बनाने का विचार है?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर साहब, अम्बाला के लघु सचिवालय के फेज–1 के प्र ाासकीय ब्लाक का निर्माण कार्य हो चुका है और बाकी का काम इन प्राग्रैस है। इस साल वहां पर 6. 60 लाख रुपए खर्च किए गए है। उन मिनि सैक्रेटेरिएट का वर्क इन प्रोग्रैस है।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, गुडगांव के अंदर हाई सैकेण्डी स्कूल, आई टी आई की बिल्डिंग और सरकारी कार्यालय पंचायत भवन म`चल रहे है जिससे जनता को बहुत परे ाानी हो रही है।

Mr. Speaker: Mr. Singla, this question relates to Rohtak. Therefore, you can put supplementary regarding Rohtak only.

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या करनाल मे मिनि सैकेटैरिएट बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो उसका काम कब तक भ्रुरु हो जाएगा?

Mr. Speaker: Mr. Bajaj, as I have said earlier, this question relates to Rohtak and I will allow supplementaries relating to Rohtak only. Please take your seat.

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रेवाडी नया जिला बना है वहां पर लघू सचिवालय कब बनना भ्रुरु होगा?

Mr. Speaker: Mr. Muni Lal, I would not permit to put supplementary on this question like this. Please take your seat. Next question.

50 Bed Hospital at Dabwali Mandi

***1359. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 50 bed Hospital at Dabwali Mandi?

स्वास्थय मंत्री (श्री औम प्रका ा भारद्वाज): जी नही।

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, भारद्वाज जी के महकमे से संबंधित चाहे कोई भी सवाल हो इनकी तरफ से यही जवाब होता है कि 'जी नही' या 'सवाल ही पैदा नही होता'। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंडी डबवाली में 50 बैड का अस्पताल बनाने में क्या दिक्कत है? जी नही कहने से तो काम नही चलेगा।

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा है कि मैने उनके साल का जवाब जी नही में दिया है लेकिन मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मंडी डबवाली में पहले से ही एक 30 बैड का कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर चल रहा है। यह बात ठीक है कि हम वहां पर 50–60 लाख रुपया खर्च करके सी0 एच0 सी0 को बिल्डिंग जरुर बनाएंगे लेकिन 50 बैड का हास्पीटल बनाने का सरकार का कोई विचार नही है।

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, डबवाली की 50 हजार की आबादी है और जो कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर है उसकी बिल्डिंग की खस्ता हालत है। मै यह जानना चाहता हूं कि मंडी डबवाली की आबादी को देखते हुए वहां पर 50 बैड का होस्पीटल कब बन जाएगा, क्या उसके लिए जमीन की कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत है?

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य मनी राम जी का यह कहना ठीक है कि जिस बिल्डिंग में सी0 एच0 सी0 काम कर रहा है वह काफी पुरानी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की खस्ता हालत है। हमने वहां पर सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए हुडडा से जमीन लेनी है और हुडडा ने हमारे विभाग को दो एकड जमीन अलॉट भी कर दी है जिसकी कीमत 15911 रुपए 40 पैसे है।हुड्डा जब भी उस जमीन का पोजै ान हमारे विभाग को दे देगा उसके बाद फौरन उसके लिए एस्टिमेटस बना कर बिल्डिंग बनाने का काम चालू कर दिया जाएगा।

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, भारद्वाज साहब मेरे सवाल का जवाब नही दे रहे है।

श्री अध्यक्षः भारद्वाज साहब, आप मनी राम जी की सप्लीमैंटरी नही समझ पा रहे है। जिस समय हमारे विभाग को उस जमीन का पौजै ान मिल जाएगा तो हम फौरन उस बिल्डिंग का एस्टिमेट बना कर काम भ्ाुरु कर देंगे। इस बारे में मनी राम जी भी अपनी तरफ से एफर्टस करे ताकि उस जमीन का पोजै ान जल्दी मिल जाए।

श्री मनीरामः स्पीकर साहब, हुड्डा की जो जमीन है वह गवर्नमैंट टू गवर्नमैंट ट्रांसफर होनी है। उसमें दिक्कत क्या है?

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, हम उस सी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग बनाने का काम जल्दी भ्ाुरु करने की कोि ा ा करेंगे।

डा0 हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल हरियाणा प्रान्त में कितने हास्पीटल बनने जा रहे है?

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, मै अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इस समय 11 हस्पतालो पर काम चल रहा है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए क्या नार्म्ज है और उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए? क्या इन्होने सारे हरियाणा में उचित जगहो पर सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए सर्वे करवा लिया है? इसके साथ साथ मै यह भी जानना चाहता हूं कि हिसार जिले में कितनी जगहो पर सी0 एच0 सी0 चल रही है?

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में 41 सी0 एच0 सी0 चल रही है ओर इसमें से 5 हिसार में है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि मण्डी डबवाली में हस्पताल बनाये जाने के लिए हुड्डा को जमीन की पेमैंट करनी है और उसके बाद वह जमीन हैल्थ विभाग

को ट्रांसफर हो जाएगी। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह जमीन लेने के लिए हुड्डा को कब तक पेमैंट कर देंगे?

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः यह पेमैंट जल्दी ही कर दी जाएगी।

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि इस समय 11 स्थानो पर हस्पताल बनाये जा रहे है। क्या मंत्री महोदय इन 11 हस्पतालो के नाम बताने का कश्ट करेंगे।

श्री औम प्रका ा भारद्वाजः स्पीकर साहब, जहां जहां पर ये बनाये जा रहे है उनके नाम मै आपके बता देता हूं। ये है–

1. General Hospital, Karnal.

2. B.K. Hospital, Faridabad.

3. T.B. Isolated Ward, Sirsa.

4. Repair of Krishna Lal Eye Hospital, Bhiwani

5. General Hospital, Ambala City.

6. General Hospital, Adampur Extension.

7. T.B. Isolated Ward, Ambala City.

8. General Hospital, Sonepat.

9. Lok Nayak Jai Parkash Hospital, Kurukshetra.

10. General Hospital Charkhi Dadri.

AIDS

*1363. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that cases of Aids disease have been detected in the State of Haryana; and

(b) if so, total number of such cases detected so far and the preventive action taken by the Government to control the disease?

Health Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj):

(a) Yes.

(b) Three cases of AIDS were detected. One case detected in Panchkula who is under regular treatment in P.G.I. Chandigarh. Two foreign students had developed AIDS during the year 1988. One was deported to his native village and the other committed suicide in Karnal Jail. In order to control menace of the dreaded disease, the following measures have been taken:-

(i) All the Civil surgeions and incharge of blood banks have been instructed to collect blood samples of all donors and send these to screening centre at Medical College, Rohtak, for testing against AIDS.

(ii) Testing of blood for high risk groups which include:-

1. Professional Blood Donors.

2. Prostitutes, Homosexuals and drugs addicts.

3. Foreign Studetns.

4. Sexually transmitted disease cases.

(iii) Instructions are to use single autoclaved/disposable needles and syringes.

(iv) There is a separate monitoring cell at Health Directorate.

(v) Doctors are imparted training at P.G.I. Chandigarh.

(vi) Health Education related to AIDS is imparted and World Day was celebrated on 1-12-1990 and an advertisement given in the press to create awareness in the people.

(vii) There is a proposal to establish two more screening centres at Karnal and Hissar with Central assistance.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने अभी बताया है कि इस रोग के ि ाकार 2 विदे ाी छात्र थे तथा एक केस पंचकूला में डिटैक्ट हुआ है। मै आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंचकूला मे हमारे कान्ति प्रका ा भल्ला जी को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये गये है? (हंसी)

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री कान्ति प्रका ा भल्ला): स्पीकर साहब, मै आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता

को बताना चाहूगा कि घूमने फिरने के दौरान हो सकता है कि उन्हे भी ऐड्ज हो गई हो इसलिए उनकी भी जांच करवा ली जाएगी। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, करनाल से एक अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा के एक मंत्री 'ऐड्ज' से ग्रस्त है। मै आदरणीय स्वास्थय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे उस मंत्री का नाम बताएंगे ताकि बाकी के हाउस को इस भयंकर रोग से बचाया जा सके? (हंसी)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मै इनको यह बताना चाहूगा कि वे मंत्री अब भूतपूर्व हो गए है। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह बडा गम्भीर सवाल है जिसके कारण बडा भारी आतंक फैला हुआ है। यह विदे ाी बिमारी है। कई मंत्री गाहे–बगाहे विदे ा जाते रहे है और अदनान खा ागी से भी मिलते रहे है। अदनान खागो ी दूसरे कई लोगो से भी मिलते रहे है। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय स्वास्थय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री या सदन के दूसरे सदस्य उनसे मिलते रहे है क्या उनकी जांच करवा ली गई है कि कही उन्हे ऐड्ज तो नही है? (हंसी)

श्री औम प्रका ा भारद्वाज: स्पीकर साहब, मेरे आदरणीय साथी श्री राम बिलास भार्मा जी बहुत चिंतित है कि ऐड्ज का निरीक्षण करवा लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मै

इनकी जानकारी के लिए तथा सारे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि चिन्ता की कोई बात नही है क्योंकि हमारे सभी साथी बिल्कुल ठीक है। (हंसी)

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, हमारे माननीय साथी राम बिलास जी बडे चिन्तित है। विदे ा की बात नही, दे ा के अन्दर भी मद्रास और बम्बई में ऐसी बीमारी फैल गई है। हमें इसकी काफी चिंता है। हमारे कुछ साथी जब घुमने के लिए गए हुए थे तो हमने डा0 महासिंह को इसी काम के लिए भेजा था ताकि अगर कही कोई ऐसी बात हो जाए तो फौरन ईलाज किया जा सके। (हंसी)

डा0 रघुबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बीमारी से ग्रस्त जो व्यक्ति है उनमें से कितने मेल है और कितने फीमेल है और वे किस एज ग्रुप के है?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्र न का लिखित उत्तर

Road from Prithipur to Gadwali

***1413. Shri Bhag Mal:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the date on which the road from Prithipur to Gadwali is district Yamuna Nagar was constructed

alongwith the number of culverts/bridges constructed thereon?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): 52 पुलियो सहित इस सडक का निर्माण जुलाई 1980 मे किया गया था।

विभिन्न विशयो का उठाया जाना

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा एक प्रिबिलेज मो ान है। इस महान सदन को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की सव्रेलैन्स करने वाले सी0 आई0 डी0 कर्मचारियो की गिरफ्तारी के मामले के बारे में स्टेटमैंट देते हुए गृह मंत्री ने 7 तारीख को गुमराह करने की कोि ा ा की है। उन्होने गलत ब्यानी की है। उसके सम्बन्ध में मैने रुल 262 के तहत आपकी सेवा में एक ब्रीच आफ प्रिवलेज का मो ान दिया है। उसके साथ ही प्रमाण के रुप में मैने कटिंग भी आपकी सेवा में पे ा की है। इस महान सदन की बडी बडी परम्पराएं बनी रहे, इसके लिए मै आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसका आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष: वह सुबह ही मुझे सवा नौ बजे मिला है। That is under consideration. I have to verify the facts from the official record of the day. I have not merely to reply on what has appeared in the press. (Noise and interruption) Mr. Sharma, as you know, whatever is stated in the newspaper may not be correct but whatever is stated in the House is correct. So I have to verify this from the record.

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में उसे आज सुबह पौने नौ बजे दिया है। उसके साथ मैने इस बात का प्रमाण भी दिया है कि जो स्टेटमैंट उन्होने कर्मचारियो के बारे में दी है, वह गलत दी है। स्पीकर साहब, मैने रजिस्टर और रोजनामचे के हवाले से आपसे बात कही है। स्पीकर साहब, आज यह सदन की आखरी बैठक है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr Speaker: Mr. Sharma, as I said earlier, this is under consideration.

डा0 रघूवीर सिंहः स्पीकर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब होम डिवलैपमैंट को कन्ट्रोल करने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे है। यह बडा गम्भीर मामला है। (व्यवधान एवं भाोर) Speaker Sir, if you permit me, I want to submit one thing.

Mr. Speaker: No, Doctor Sahib, not on this subject now as I have already said that this is under consideration.

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, आज सदन के आखिर तक क्या आप उस पर अपना निर्णय दे देंगे?

Mr. Speaker: Sharma Ji, cannot promise.

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, इस सदन की गरीमा की बात है जो इससे जुडी हुई है।

Mr. Speaker: Sharma Ji, I know that but I cannot promise.

श्री राम बिलास भार्माः आज सदन उठने से पहले तो आप बता ही देंगे, ऐसा तो आप कह सकते है।

Mr. Speaker: Sharma Ji, I would not say so as I have said earlier. I cannot promise as the matter is still under consideration.

श्री राम बिलास भार्माः मैने उसमें बकायदा रुल कोट किया है। आप आज हाउस उठने से पहले उसको एडेमिट कर लें।

Mr. Speaker: No, it is not possible to say anything about it at this stage. मै तो अभी हाउस में बैठा हू। आप लोग मुझे हाउस से उठने देगें तभी तो मै फैसला करुंगा। अगर आप मुझे उठने ही नही देंगे तो मै कैसे फैसला करुंगा। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे उठने भी देते है या नही उठने देते है।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मै इन द्वारा सदन मैं कह गयी बात को चैलंज करता हूं।

Mr. Speaker: Sharma Ji, that is right but I cannot promise anything about it. You please take your seat.

श्री कैला ा चन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, रेवाडी के अन्दर सफाई कर्मचारियो की हडताल के बारेमें मेरा कालिंग अटैं ान मो ान था। उसका आपने क्या फैसला किया है? वहां पर 15–20 दिन से कोई सफाई नही हुई है।

श्री अध्यक्षः वह तो डिस–अलाउ हो गया है।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इन चुनावो में बिल्कुल सफाई कर देंगे। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री कैला ा चन्द भार्माः सफाई तो आपकी होने वाली है। आपका तो जनाजा भी निकलने वाला है। सर, वहां पर 28 तारीख से हडताल चल रही है और बहुत बुरा हाल है।

श्री अध्यक्षः वह तो डिस–अलाउ हो गया है। आप बैठिये।

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि जो प्र न राम बिलास भार्मा जी ने उठाया है, उसको भाोर– ाराबे में नही दबाना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो बडी गम्भीर है। इस सदन के अन्दर गलत इन्फर्मे ान दी जाये तो वाकई यह ब्रीच आफ प्रिवेलज का मामला बनता है। इसके लिए या तो होम मिनिस्टर साहब कोई जवाब दें अध्यक्ष महोदय, आप हमारी तसल्ली करा दें। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः मै तसल्ली करवाने के लिए नही हूं। मैने हाउस को बताया है कि वह मामला अन्डर कंसिड्रेसन है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः यह इस तरह से टलने वाली बात नही है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Gupta Ji, I am very sorry. I have said earlier, that the matter is under consideration. Now I would not permit any-body to speak like this. (Interruption)

श्री बनारसी दास गुप्ताः इसका फैसला तो आप को देना ही चाहिए।

Mr. Speaker: I am not going to bow down before you. You please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह बात चलने वाली नही है। भाोर भाराबा करने से यह मामला दबाया नही जा सकता। इस बात का माकूल जवाब दिया जाए। हाउस को गलत इंफरमे ान दी गई है। फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज़ के साथ यह सूचना प्रकाि ात हुई है। (व्यवधान एवं भाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हाउस में जो कुछ कहा गया है, वह सही...

Mr. Speaker: I have not yet admitted it. Please take your seat.

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में एक काल अटैन्ा ान मो ान जींद के ढोला गांव में जमीन के अनअथोराइज्ड पोजै ान के बारे में दी है। वहां पर हजारो लोगो ने प्रद र्ान किया है। (व्यवधान एवं भाोर)

* * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः ये भाब्द रिकार्ड न किए जाएं।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, मेरी काल अटैन्न ान मो ान का क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः वह मैने गवर्नमैंट को कमैंटस के लिए भेजी है। I have not received the comments as yet.

श्री रणसिंह मानः स्पीकर साहब, मैने कल एक ऐडजर्नमैंट मो ान, हिसार जिले के भटटा मजदूरो पर भट्टे के मालिको द्वारा कातिलाना हमला करने संबंधी, दी थी। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः वह मैने डिस–अलाउ कर दी है। (विघ्न्)

श्री रण सिह मानः स्पीकर साहब, यह तो बडा जरुरी मामला था।

Mr. Speaker: How can I allow you to discuss a murder case. It is a House and not a session court.

श्री रण सिह मानः स्पीकर साहब, मेरी बात तो आप सुन लिजिए।

Mr. Speaker: No whena murder has been committed and a case registered, how can I allow it to be discussed here. (interruption) I would request everybody to please take his seat except the leader of the Opposition, who wants to say something.

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मैने डा0 कमला वर्मा के बारे में एक प्रिविलिज मो ान दी थी। मुझे उसके बारे में बताया जाए।

श्री अध्यक्षः सूरज भान जी, उसके बारे में गवर्नमैंट का जवाब आ गया है। मैने बहिन जी को चिट्ठी लिख दी है। मैने बहन जी और आपको बुलाया है and we will discuss the matter.

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि प्रोसीजर के मुताबिक आदरणीय गृह मंत्री 7 तारीख को दी गई अपनी स्टेटमैंट करैक्ट करना चाहे तो कर सकते है। अगर वे नही करना चाहते तो आप इसका फैसला कर दें। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जो कुछ मैने कहा है वह सौ परसैन्ट सही है। (थम्पिंग)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक है। आप कृप्या हमें सही जवाब दिलाएं। मेजे थपथपाने से काम नही चलेगा। ये सही जवाब दे या तो कहे कि जो अखबार में छपा है वह गलत है। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः यह गलत है (विघ्न्)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हम आप पर छोड देते है। आप इसका फैसला कर दें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह बात तो खत्म हो चुकी है। आपने उसको फिर भाुरु कर दिया। (ाोर एवं व्यवधान) इस समय सात अपोजी ान के मैम्बर खडे है। ऐसी हालत में हाउस कैसे चल सकता है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सदन मे यदि गलत रिपोर्ट दी जाए, गलत इंफरमे ान दी जाए तो यह ब्रीफ आफ प्रिविलिज बनती है। (ाोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक है। अगर आप हमारी बात नही सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? हमारे अधिकारो की रक्षा कौन करेगा? (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Gupta Ji, I have already said that it is under consideration. So please take your seat.

(इस समय जनता दल के बहुत से मैम्बर्ज बोलने के लिए खडे हो गये।)

श्री अध्यक्षः गुप्ता साहब, आप अपने मैम्बर्ज को तो देखें, वे किस तरह से बोल रहे है दूसरो को आप क्या कहते है? (ाोर) No Interruptions please.

डा0 हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, चौधरीवास में गोली चली है। आदमी मरे है। परसों मैने मुख्य मंत्री महोदय को इस बारे में लिख कर भी दिया था ओर उन्होने फैक्टस जानने के लिए टैलिफोन करने के लिए कहा था। लेकिन आज हमें टेलिफोन आई

है कि वहां पर आदमी मरे है। यह बडा ही सीरियस मामला है। (ाोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह सरकार गुण्डो को पनाह दे रही है। ऐसी लाठी गोली की सरकार नही चलेगी, नही चलेगी। इस बारे में मै ऐडजर्नमैंट मो ान दिया था लेकिन आप हमारी बात नही सुन रहे है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have disallowed that.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

Mr. Speaker: Please listen everybody. I won't allow anybody to speak without my permission.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह बडा ही सीरियस मामला है लेकिन आप हमें इस पर बोलने नही दे रहे है। मै प्रोटैस्ट के तौर पर हाउस से बैल मे बैठने जा रहा हूं। जब तक इस मामले पर डिस्क ान नही होती, मै यहां से नही उठूंगा। (ाोर)

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह अपनी सीट से उठकर सदन के बैल में बैठ गये)

श्री अध्यक्षः हरपाल सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाईये (ाोर एव ंव्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंहः जब तक आप मेरी बात नही सुनते तब तक मै यही बैठा रहूंगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

(इस समय कामरेड हरपाल अपनी सीट पर चले गए।)

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, आज हरियाणा में आदमी मरवाए जा रहे है और लोगो को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मुझे भी जान से मारने की घमकी मिली है और आप हम सब की बात सुनने के लिए तैयार नही है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Attri Ji, please take your seat. Let me reply first. मै कहता हू कि एक कत्ल हुआ होगा या दो कत्ल हुए होंगे but when the case has been registered, the trial will be in the Sessions Court and not in the Vidhan Sabha. I won't permit this procedure. This is wrong procedure being followed. जब एक मर्डर हो गया और पर्चा भी दर्ज हो गया, Then it is for the court to decide the matter (Noise).

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, यदि सदन के किसी साथी के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो उसके बारे में हम यहां कह सकते है। अत्री जी को एस0 पी0 ने धमकी दी है, उनकी जान को खतरा है। इस बारे में एक प्रिविलेज मो ान दिया गया है। कामरेड हरपाल सिंह जी ने भी एक वि ोश घटना केबारेमें

एक ऐडजर्नमैंट मो ान दिया है। लेकिन इतना होते हुए भी आप हमारी बात नही सुन रहे है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः दुर्गा दत्त अत्री जी के साथ कल बात हो गई है और हरपाल सिंह जी का जो मो ान था, वह मैने डिस–अलाउ कर दिया है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बहज कमला जी के साथ भी हुआ था। उनको पकड कर ले गये और दूर सुनसान जगह पर जाकर उनको राम के डेढ बजे छोडा गया। इस तरह से मामलो में आनरेबल मैम्बर्ज की और से आपको प्रिविलेज मो ान दिया गया हो, एक मंत्री इस सदन में गलत बात बोले कि ऐसी कोई बात नही हुई है और आप हमें यहां पर बोलने का अवसर न दे ंतो फिर हाउस के सदस्य उत्तेजित न होगे तो और क्या करेंगे? (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sharma Ji, this is not the way. When you do not respect the Chair, what can the Chair do?

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, कम से कम कामरेड साहब व अत्री जी को अपनी बात कहने का यहां हाउस में अवसर तो मिलना ही चाहिए (ाोर)

Mr. Speaker: I do not agree.

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आज यह कोई इ ू नही है, ये जानबूझ कर तमा ाा कर रहे है। (ाोर) इन लोगो ने

मजदूरो को मरवाया है। इन्होने चार लाख रुपया इकट्ठा किया है। (ाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हो गए)

Mr. Speaker: Hon Members, please take your seat. I will ry to clinch the issue. वैसे तो यह मो ान डिस–अलाउ हो चुका है लेकिन फिर भी आनरेबल होम मिनिस्टरी यदि इस बारे में कुछ बताते है, कोई ब्यान देना चाहे तो दे सकते है।

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब जिस केस का हरपाल सिंह जी ने जिक किया उसके बारे में निवेदन है.....

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने इस इ ू को बडे अच्छे ढंग से कलिच किया और होम मिनिस्टर साहब को स्टेटमैंट देने के लिए कहा। लेकिन पहले श्री हरपाल सिंह जी की बात सुन लें। (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, रण सिंह जी मान ने इसी इ ू पर कालिंग अटैं ान मो ान को नोटिस दिया था। अगर उसका जवाब दे दिया जाता तो ये आदमी न मरते।

श्री अध्यक्ष: वह तो डिस–अलाउ हो चुका है लेकिन मैने फिर भी कहा है कि अगर होम मिनिस्टर स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इन लोगो को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। कल एक मजदूर मारा गया था और बकायदा स्पीकर साहब, एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। उसमें चार आदमियो के नाम लिए गए। हमने दो आदमी तो फौरन अरैस्ट कर लिए और दो जो और थे उनको भी बख्शा नही जाएगा। ये कहते है कि मजदूर मारा गया, हमें भी पता है। ये लोगा कोि ा ा करते है 31 मार्च तक अपने सैंट्रल दफ्तर में सूचना भेजने की कि कहां कहां पर कितने लोग मरवाए। (विघ्न्) हिसार के अन्दर इन लोगो ने मजदूरो से चार लाख रुपया इकट्ठा किया है। चार लाख रुपया इकट्ठा करके इन्होने उनको भडका कर भट्ठे बन्द करवाने की कोि ा ा की। (विघ्न्) लेकिन स्पीकर साहब, सरकार किसी को कानून अपने हाथ में नही लेने देगी। चाहे वह भट्ठा का मालिक हो और चाहे भडकाने वाले कामरेड हो। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नही दी जाएगी। (ाोर)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ये हाउस को गुमराह कर रहे है। इसलिए मै एज ए प्रोटैस्ट तब तक हाउस की बैल मे बैठूंगा जब तक आप मेरी बात नही सूनते।

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह जी सदन की बैल में बैठ गए)

Mr. Speaker: Harpal Singh, I warn you to go to your seat. (Noise and interruption)

कामरेड हरपाल सिंहः मै नही जाऊंगा।

Mr. Speaker: Alright then the procedure wi have to be followed.

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह जी अपनी सीट परं चले गए)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारी सभी की जिंदगी को खतरा है। (ाोर) आपने मेरी ऐडजर्नमैंट मो ान रिजैक्ट कर दी और गृह मंत्री को बिना मेर व र्ान सुने जवाब देने की इजाजत दे दी। आप मेरा व र्ान भी तो सुने। (ाोर)

(इस समय श्री सूरज भान और बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

Mr. Speaker: I would request all the Members to take their seats. Let me hear the Leader of the Opposition.

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, हाउस में यह गर्म माहौल न रहे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कामरेड साहब का ऐडजर्नमैंट मो ान तो रिजैक्ट कर दिया लेकिन अब कम से कम उनकी ग्रिवैंसिज तो सुन लें। उनको अपनी बात तो कहने दें। आपने होम मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिए इजाजत दे दी जबकि आपने कामरेड साहब का ऐडजर्नमैंट मो ान रिजैक्ट कर दिया था। गृह मंत्री का जवाब तो हमने सुन लिया है लेकिन इनका व र्ान क्या है वह भी रिकार्ड पर आना चाहिए। इसलिए आप इनको अपनी बात कहने का मौका दें।

Mr. Speaker: I am sorry. No rule permits such discussion when I have disallowed the adjournment motion. I askes the Government to make the statement, if it wanted to because it was being insisted by members from your side.

वाक आउटस

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आपने बडी संजीदगी के साथ सदन को चलाया है और आज सदन का आखिरी दिन है। आप माननीय सदस्य कामरेड हरपाल सिंह जी का व र्ान सुन ले इसमें कोई हर्ज वाली बात नही है। एक तरफ तो आपने गृह मंत्री जी को जवाब देने के लिए कह दिया और दूसरी तरफ आपने माननीय सदस्य कामरेड हरपाल सिंह जी का ऐडजर्नमैंट मो ान रिजैक्ट कर दिया। उनकी आप ग्रिवैंसिज नही सुन रहे है। आप उनका वर्जन सुन लें। यह उनकी जिंदगी से जुडा हुआ मामला है। आप उनको भी अपना व र्ान कहने के लिए अलाऊ कर दें। (ाोर)

Mr. Speaker: I am sorry, I would not permit. I have disallowed this notice. I askes the Government to clarify the matter and the Government has done it. Now you again want to raise it. but I am sorry, I would not permit it. Please take your seat and let the House proceed further.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्षः आप कृप्या बैठिए।

कामरेड हरपाल सिंहः फिर हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते है।

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह सदस्य सी0 पी0 एम0, डा0 हरनाम सिंह, सदस्य सी0 पी0 आई0 तथा सदन में उपस्थित जनता दल के सभी सदस्य सदन से वाब आउट कर गए)

श्री राब बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा बडा विनर्म निवेदन है। आपने इस सदन को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया है। इस सरकार की जैसी परफौरमैंस रही है वह आपके सामने रही है, उसमें हमें क्या लेना देना है। इस समय सदन में जो बदमजगी हुई है यह नही होनी चाहिए थी। हमने आपकी सेवा में एक प्रिविलेज मो ान बडे स्पैसिफिक इ ू पर दिया था पर वह आपने रिजैक्ट कर दिया। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस सदन को लगातार गुमराह कर रहे है। इन्होने गलत ब्यानी की है। (ाोर)

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, please take your seat. I would not permit it now.

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नही दे सके। विपक्ष के नेता पर हमला हुआ उसका कोई जाब नही दे सके। मैने और श्री सूरज भान ने आपको सूरज भान जी पर जो हमला हुआ उसके बारे में एक प्रिविलेज मो ान दी थी, वह आपने रिजैक्ट कर दी। आप उसको एडमिट करते और इनकी तरफ से उसका जवाब आता।

लेकिन एक ही आदमी बार बार इस सदन को गुमराह कर रहा है, पूरे हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहा है। (ाोर)

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इनको कांटा चुभ रहा है इसका इनको दर्द तो होता ही रहेगा। उसका कोई इलाज नही है। (ाोर) हमने इनकी सब बातो का जवाब ठीक ढंग से दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, मेरे विपक्ष के भाईयो ने हाउस का चलने नही देना है क्योकि ये सुबह यह मन बना कर आए थे कि हाउस को नही चलने देना। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हास को आगे चलाएं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, हमने हाउस को ठीक तरह से चलाने के लिए लगातार कोि ा ा की है। हमने अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यू ान किया है। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जो प्रिविलेज मो ान हमने दी है उसको आप ऐडमिट किजिए। (ाोर एवं व्यवधान) हम आपसे गुजारि ा करते है कि आप हमारी बात को सुनिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हम तो पंडितो की बात को सुनते है। (हंसी) आप तो महा पंडित है। मै आपकी बात नही सुनुगां तो और किस की सुनूंगा? (ाोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, अच्छी बात है कि आप पंडितो की बात को सुनते है। लेकिन यह सरकार तो पंडितो

की बात नही सुन रही। हमारे एक पंडित भाई को भी इनकी सरकार से जान का खतरा है। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जो पंडितो की बात को सुनेगा वह मार भी नही खाएगा लेकिन यह सरकार पंडितो की बात नही सुन रही। (विघ्न्) स्पीकर साहब, जो बात हम कह रहे है वह इस सदन के साथियो से जुडी हुई है और यह सदन की गरिमा क भी सवाल है। (ाोर)

Mr. Speaker: Pandit Ji, please take your seat and let me proceed with the business of the day.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, आप अगर हमारी बात नही सुनना चाहते ओर जो प्रिविलेज मो ान मैने होम मिनिस्टर के खिलाफ दी है उसे ऐडमिट नही करते तो हम वाक–आउट करते है।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री रतन लाल कटारिया को छोडकर सदन से वाक आउट कर गए)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

गायो को वध के लिए उत्तर प्रदे ा में ले जाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'be Members, I have received a notice of calling attention motion No. 35 from Shri Rattan Lal Kataria, M.L.A. regarding taking of cows in Uttar Pardesh for slaughtering through the banks of Yamuna River adjacent to the Haryana state. I admit it. अब श्री रतन लाल कटारिया अपना

नोटिस पढ दे ंऔर उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्टर यदि स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लेाक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि दे ा में गऊ वा पर कानूनी तोर से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। फिर भी असामाजिक प्रवुति के कुछ लोग हरियाणा राज्य के साथ लगते यमुना नदि के तटो से उत्तर प्रदे ा में गऊओ को वध के लिए ले जाते है जिसके कारण हरियाणा के इन गावों के लोगो मे बडा रोश व्याप्त है जो ऐसी वारदातो को देखते है। अतः मै निवेदन करता हूं कि सरकार सदन में एक वक्तव्य दे कर इस दि ाा में की गई कार्यवाही से इस महान सदन को अवगत कराए।

वक्तव्य–

प J पालन राज्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

प Jपालन राज्य मंत्री(श्री कुलबीर सिंह मलिक): गजट अधिसूचना 1972 के द्वारा, हरियाणा राज्य मे लागू पंजाब गोवध नियन्त्रण अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर किसी गाय को वध या वध हेतु निर्यात नही कर सकता। इस अधिनियक के प्रावधानो को सख्ती से लागू करने हेतु हरियाणा सरकार ने अप्रैल, 1979 में इससे संबंधित हिदायतें जारी की की हरियाणा से दूसरे राज्यो को

गायो का निर्यात तुरन्त बन्द होना चाहिए। बाद में, राज्य सरकार ने, भारत के राश्ट्रपति की ओर से हिदायतें प्राप्त होने पर 26 नवम्बर, 1979 को एक अध्यादे ा जारी किया जिसे ''पंजाब गोवध नियंत्रण अधिनियम 1955'' में सं ाोधन करते हुए अप्रैल, 1980 में अधिनियम में बदल दिया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अपने एजैन्ट के द्वारा, या नौकर या उसके निहित कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम की अवहेलना में यह यह जानते हुए कि इनका वध होगी या वध होने की सम्भावना हो, गायो के वध के उद्दे य से निर्यात नही करेगा। इसमें यह भी स्पश्ट किया गया है कि गायो को निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति गायो की संख्या तथा राज्य का नाम जिसमें निर्यात किये जाने है, कारणो का उल्लेख करे हुए परमिट के लिए ऐसे अधिकारी को जिसे अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया है, आवेदन करेगा। वह व्यक्ति एक घोशणा पत्र भी प्रस्तुत करेगी कि गायो, जिनके लिए निर्यात परमिट की आव यकता है, को वध नही करेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने जिला उप निदे ाको को गायो के निर्यात हेतु ऐसे परमिट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। उपबन्ध–1 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी, आवेदक की प्रार्थना की वास्तविकता के बारे में अपनी तसल्ली करते हुए, प्रार्थना पत्र मे निर्दिश्ट गायो के निर्यात हेतु उसे परमिट जारी करेगा।

11:00 बजे

गोधन के अनप्राधिकृत निर्यात को रोकने हेतु प ुपालन विभाग ने अन्तराश्ट्रीय सीमाओ पर 15 चैक पोस्ट स्थापित की है। ऐसी छः चैक पोस्टे वि ोश तौर से यमुना नदी के साथ साथ स्थापित की गई है। ये चैक पोस्टे उन्ही स्थानो पर स्थापित की गई है। जहां आयकर एवं कराधान विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग की चैक पोस्टे स्थित है। गौधन के अनप्राधिकृत निर्यात की बिल्कुल आज्ञा नही हैं। वर्शवार निर्यात का विवरण निम्न है:—

वर्श 1988—89 40166

वर्श 1989—90 52823

वर्श 1990—91 33390

(1/9 तक)

फिर भी समय समय पर स्थिती की समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार ने वर्श 1985 में करनाल में मुख्यालय स्थपित करते हुए एक उडन दस्ते की स्थापना की। यह दस्ता विभाग के एक प्रथम श्रेणी अधिकारी के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में है। उडन दस्ते द्वारा पूलिस की सहायता से बहुत सी कठिनाईयो के बावजूद काफी सराहनीय कार्य किया है। कुल मिलाकर, इसने 245 छापे मारे, 2321 प ु पकडे तथा 98 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा उडन दस्ते को और मजबूत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

यह यकीनी बनाने के लिए कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम को दुरुपयोग नही कर रहा है, राज्य सरकार ने गायो/बहडियो/बैलो, जिनकी कीमत 2000 से कम तथा बछडा जिसकी कीमत 1000 रुपये से कम है, के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। फिर भी प्रजनन साण्डो की किताबी कीमत पर निर्यात की आज्ञा है।

अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत गायो के निर्यात की आज्ञा केवल उन्ही राज्यो को दी जा सकती है जो गौवध नियन्त्रण अधिनियम लागू करें।

श्री रतन सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मै आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि पुलिस की मिली भगत के कारण गऊओं को यमुना पार उत्तर प्रदे ा ले जाया जाता है? मै माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ मिलीभगत से गऊओ के भेजने के बारे में कोई केस दर्ज किया गया है?

श्री कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मै अपने आदरणीय साथी को बताना चाहता हूं कि पूलिस की मिलीभगत की कोई बात नोटिस में नही आई है। पुलिस डिपार्टमैंट द्वारा जो गाएं पकडी गई है उनका ब्यौरा इनको दे देता हूं। वर्श 1985–86 में 266, वर्श 1986–87 में 324, वर्श 1987–88 में 611, 1988–89 में 147, 1989–90 में 106 और वर्श 1990–91 मे अब तक 96 गाएं

यानि कुल 1560 गाएं पुलिस डिपार्टमैन्ट द्वारा पकडी गई है। जो गाएं हमारे डिपार्टमैंट द्वारा पकडी गई है वे इससे अलग है।

घोशणा–

श्री अध्यक्षः अब सैकेटरी साहब एक अनाऊंसमैंट करेंगे।

सचिवः मान्यवर, मै उस विधेयक को द ार्ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर सत्र, 1989 मे पारित किया था तथा जिस पर राश्ट्रपति महोदय ने अनुमति दी है, सादन सदन की मेज पर रखता हूं।

विवरण

पंजाब कृशि उपज मण्डी (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1989

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब मंत्री जी नियम 15 के अधीन मो ान मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will mov the motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): स्पीकर साहब, मै एक बात कहना चाहता हूं आपने देखा है कि आज का जो एजेन्डा है, उसमें 15 तो अमैडिंग बिल है ओर आधा दर्जन के करीब रुल 84 के तहत रिपोर्टस पर डिस्क ान होनी है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस मो ान में तो इसका कोई जिक्र नही है। यह बात तो पहली मो ान के तहत ये कह सकते थे लेकिन उस समय तो इनको मो ान लगी हुई थी। (हसी)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै अर्ज कर रहा था कि 15 तो बिल्ज रखे है, उन पर डिस्क ान है। अगर उन पर डि ाक्र ान नही कराना चाहते तो कह दे ंहम वैसे ही टाल कर देते है वरना इसके लए दो दिन का सै ान बढा दिया जाता तो कोई गलत बात नही होती।

Mr. Speaker: Please take your seat. Question is-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

The motion was carried.

समितियो की रिपोर्टस पे ा करना–

(i) कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 31वीं रिपोर्ट।

श्री अध्यक्षः अब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी के चेयरमैन, श्री रिसाल सिंह, कमेटी की ईयर 1990–91 के लिए थर्टी–फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे।

Shri Risal Singh (Chairman Committee on Public undertakings): Sir I beg to present the Thirty First Report of the Committee on Public Under takings for the year 1990-91

on the Repors of the Comptroller & Auditor General of India for the years 1980-81, 1981-82 & 1982-83 relating to Haryana State Electricity Board.

(ii)कमेटी आन ऐस्टीमैट्स की 23वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी औन ऐस्टीमेट्स के चेयरमैन, श्री मनी राम, कमेटी की ईयर 1990–91 के लिए 23वीं रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे।

Shri Mani Ram (Chariman Committee on Estimates): Sir I beg to present the Twenty Third Report of the Committee on Estimates for the year 1990-91.

(iii)कमेटी आन ऐस्टीमैट्स की 22वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी औन अ योरैंसिज के चेयरमैन, श्री मोहम्मद असलम खां, कमेटी की ईयर 1990–91 के लिए 22वीं रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे।

Shri Mohammad Aslam Khan (Chairman Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Twenty Second Report of the Committee on Government Assurances for the year 1990-91.

(iv) कमेटी आन दि वैलफेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्टस एंड ि ाडयूल्ड ट्राइब्ज की 16वी ंरिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी औन दी वैल्फेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्ट्स एंड ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज के चेयरमैन, श्री सूरज भान, कमेटी की ईयर 1990–91 के लिए 16वीं रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे।

श्री सूरज भान (सभापति अनुसूचित जातियो तथा जन जातियो के कल्याण के लिए समिति): अध्यक्ष महोदय, मै वर्श 1990–91 के लिए ि ाडयूल्ड कास्ट्स एंड ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज के कल्याण के लिए समिति की 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज–

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991

श्री अध्यक्षः अब फाइनैंस मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल वित्त मंत्री महोदय ने पे ा किया है, मै इसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं। विरोध मै इसलिए कर रहा हूं कि जब भी किसी का बजट का पैसा गवर्नमैंट को दिया जाता है तो आप देखेंगे कि वह सारा ही साल आखिर में खर्च किया जाता है। साल के भाुरु के 10 महीने तक तो सारा बजट यूं ही पडा रहता है। भाासन और प्र ाासन ढीला पडा रहता है। आखिर के दो महीनो में सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है।

श्री तैयब हुसैनः प्वायंट आफ आर्डर, सर यह जा तो सप्लीमैंटरी के लिए ऐप्रोप्रिए ान बिल है। आर्य जी को भाायद इस बात का पता ही नही है। (व्यवधान एवं भाोर).....

श्री हीरा नन्द आर्यः मुझे पता है कि आप 31 मार्च तक के खर्चे के लिए बिल पे ा कर रहे है। स्पीकर साहब, अब तक तो ये बैठे रह और अब आखिरी दिनो में इस बिल को पे ा कर रहे है। इनको दसे पहले पे ा करना चाहिए था। (ाोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, पहले आर्य जी ही फाइनैंस मिनिस्टर थे। ये तो खुद इसे पे ा नही कर पाए लेकिन तैयब हुसेन जी जो अब नए फाइनैंस मिनिस्टर बने है उन्होने इसे पे ा किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, कोई न कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिए क्वार्टरली खर्च का जायजा लिया जाना चाहिए। क्वार्टरली यह देखना चाहिएकि कितना बजट अलौट किया गया और कितना खर्च हुआ। अगर वह बजट खर्च नही हुआ तो क्यो नही हुआ? किसकी जिम्मेवारी है जिसने समय पर खर्च नही किया। स्पीकर साहब, बहुत सी ग्रांटस केन्द्रीय सरकार से संबंधित होती है। कई बार केन्द्रीय सरकार की ग्रांट समय पर नही आती। समय पर केन्द्रीय सरकार की ग्रांट न मिलने के दिक्कत आती है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करना चाहिए। स्टेट गवर्नमैंट ने जो पैसा खर्च करना होता है उसका क्वार्टली पैसा तय करना चहिए कि एक क्वार्टर में इतना पैसा खर्च करना है और उसको देख लिया जाए कि वाकई वह पैसा खर्च हुआ है अथवा नही। होता यह है कि एक दिन या दो दिन में करोडो रुपया खर्च कर लिया जाता है। स्पीकर साहब, इस तरस से ऐप्रोप्रिए ान की बजाए डिसऐप्रोप्रिए ान होती है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये ठीक कह रहे है कि भारत द र्ान के दौरे पर तीन चार दिन में करोडो रुपये खर्च हो जाते है। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्यः इन भाब्दो के साथ मै इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐप्रोप्रिए ान बिल है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो भी रुपया खर्च किया जाता है उसका एक प्रासिजर है। उसको हिसाब से खर्च किया जाता है। वित्त के जो मामले है उनके पिछे एस्टेबलि ाड कंवैन् ाज है और प्रैसीडैन्ट्स है। विनस मंत्री महोदय ने जो ऐप्रोप्रिए ान बिल सदन में रखा है उसमें से हमारी जानकारी के मुताबिक चौदह करोड रुपया दडबा कलां में एक खास राजनैतिक मकसद से खर्च किया जाता है। यह पैसा खर्च कही हुआ है और दिखा कही और रहे है। इस तरह से ये पेसा मिसऐप्रोप्रिएट हुआ है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री तैयब हुसैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मे आनरेबल मैम्बर से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वाकई में कोई ख्वाब देख रहे है या सो रहे है? किस मद मे पैसा खर्च कर दिया ये कुछ बताए तो सही।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, दडबां कलां वह जगह है जहां इन सब की जमानत जब्त हुई थी।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, इस सदन में सडको के बारे में एक सवाल था और उसके बाद मैने एक सप्लीमैंटरी पूछी थी जिसके जवाब में जगन नाथ जी ने कहा था कि दडबा कलां में एक किलोमीटर सडक बनी है। यह बात इन्होने सदन में एक सवाल के जवाब में कही थी कि वर्श 1990–91 में वहां पर सडको के उपर दो करोड रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये सडक तो दडबा कलां मे बताने ळे और दिखाते है कहीं और। गलत इंफरमे ान देने की परम्परा बन गई है। इन लोगो के मन में सदन की गरिमा का कोई ध्यान नही है। मै तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐप्रोप्रिए ान बिल में कम से कम आंकडो की जादूगरी तो न दिखाया करें।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य सवाल तो ठीक तरह से पूछ नही पाए। इन्होने पूछा कि कितनी सडक पूरी हुई है तो जवाब में बताया कि एक किलोमीटर सडक पूरी हुई है। पूछना तो ये चाहिए था कि कितनी किलोमीटर सडक पर काम चल रहा है और कितना पैसा खर्च हुआ लेकिन ये वह पूछ नही पाए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण मंत्री महोदय ने अपने सवालो के उत्तर में कहा कि दडबा कलां में

केवल एक किलोमीटर सडक का ही काम हुआ है लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार दडबा कलां में सडको के ऊपर लगभग 14 करोड रुपया खर्च किया गया है। मिनिस्टर महोदय ने हाउस में गलत कह कर इस हाउस को मिसलिड किया है। इसलिए मैने रुल 265 के तहत आपको लिख कर भी दिया है कि इस पैसे का बजट वगैरह में भी प्रोविजन नही है। इनहोने हाउस को मिसलिड करने की कोि ा ा की है। यह केवल भाब्दो की जगलरी सी ही मालूम पडती है। इसकी आव यक जांच होनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, मेरे मोहतरिम मैम्बर जो यह बात कह रहे है, वह सही नही है। उनका सवाल था कि how many roads have been constructed? जो सडके पूरी हो चुकी है उनके बारे में हमारे काबिल वजीर साहब ने बडी तफसील के साथ बता दिया है। जहां तक ऐप्रोप्रिए ान बिल का सवाल है, इसमें कोई भाब्दो की जगलरी वाली बात नही है। हमने बिल्कुल सीधे सीधे आंकडे इस हाउस के सामले स्पश्ट रुप से बतलाये ह। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे मोहतरिम मैम्बर कही सपने की बात तो नही कर रहे थे? हमने सारी बातो को स्पश्ट कहा हुआ है।

डा0 हरनाम सिंह(ााहबाद): अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिए ान बिल द्वारा 12 करोड 75 लाख रुपये नैचुरल कलेमिटी रिलीफ फण्ड के लिए सरकार ने मांगे है। हम तो यह कहते है कि नैचुरल कलेमिटी के लिए और ज्यादा फण्डज का

प्रोवीजन होना चाहिए लेकिन जो पैसा सरकार इस काम के लिए दे, उस पैसे का सही और समय पर उपयोग भी होना चाहिए। उस पैसे का सही डिस्ट्रीब्यू ान होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नही है। मेरे हलके का एक गांव है जहां से आठ दस किसानो की जमीन फल्ड में आई हुई थी और उनका बहुत नुकसान हुआ है।सरकार के पास उनके नुकसान का सारा केस बनाकर भी भेजा गया है लेकिन उन गरीब किसानो को आज तक उनके इस नुकसान का कोई मुआवजा नही दिया गया है। जब लोग जाते है तो उन्हे कह दिया जाता है कि अब पैसा नही है तो फिर इस रिलिफ फण्ड का मतलब ही क्या है अगर किसी को इससे फायदा नही होना है?

अब मै डिमांड 9 जोकि ऐजूके ान से संबंधित है, पर अपने विचार रखूंगा। 55 परसैंट पंजाबी लोग हरियाणा के अन्दर रहते है और यहां पर ये लोग पंजाबियो की बाते भी करते है कि हम पंजाबी समर्थक है लेकिन मै आपके यह बताना चाहता हूं कि स्कूलो के अन्दर पंजाबी के टीचर्ज ही नही है। आप ही बताएं कि फिर पंजाबी बोली को किस प्रकार से प्रात्साहन मिल सकेगा? इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से विनती है कि स्कूलो में पंजाबी टीचर्ज की जल्दी से जल्दी अप्वायंटमैंट की जाए ताकि हमारे पंजाबी भाईयो के बच्चो को जिनको पंजाबी पढने की लालसा है, पंजाबी का ज्ञान भी दिलाया जा सके। अगर सरकार की यही नीति रही तो पंजाबी लोगो के साथ यह एक किस्म का

खिलवाड होगा। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार प्राईवेट स्कूलो को 95 परसैंट एड देती है लेकिन वहां की हालत इतनी खराब है कि टीचर्ज को तन्ख्वाहे नही मिलती है, न ही उनका जी0 पी0 फण्ड ही काटा जाता है और न ही उन टीचर्ज को गवर्नमैंट स्कूलो की तरह छुटटीयां ही मिलती है। मेरा सुझाव है कि सरकार यदि 5 परसैंट और इन स्कूलो को एड देकर के इनको अधिग्रहण कर ले तो बेहतर रहेगा। ऐसा करने से इन स्कूलो की हालत में काफी सुधार होगा। वहां के टीचर्ज व स्टाफ को इससे लाभ होगा। बस इतना मै कहना चाहता हूं। आ ाा है कि सरकार अव य ही मेरे सुझााावो पर ध्यान देगी।

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Mtion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1991

श्री अध्यक्षः अब फाइनैंस मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1991.

Sir, I also bed to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बिल पे ा किया है इसमें वि ोश रुप से पुलिस के लिए अधिक धन का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, भाासन और प्र ाासन को ठीक चलाने के लिए पुलिस का होना आव यक हुआ करता है लेकिन आज प्रदे ा में आप देखेंगे कि डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 और यहां तक कि हमारे माननीय साथी गृह मंत्री महोदय के खिलाफ भी 302 के पर्चे दर्ज है। (ाोर)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, यह बात सच नही है। मेरे खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नही है। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, चाहे मेहम की बात हो, कोसली की बात हो, यह गोहाना की बात हो। आज सारे प्रदे ा में पूलिस का राजनीतिकारण और राजनीति का अपराधीकरण किया गयाहै। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? आपने देखा होगा कि हमने एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया था कि भट्ठे वालो ने मजदूरो को गोलियो से उडा दिया.....

Mr. Speaker: That case is pending in the court. The accused have been arrested. please do not refer to that, try to understand the position and do not convert the House int Sessions Court.

श्री हीरा नन्द आर्य: आपने हमारा वह प्रस्ताव सरकार को भेजा होगा। मै तो यह कहना चाहता हूं कि अगर प्र ाासन सावधानी बरतता तो हमारी पुलिस ठीक से काम करती और इस बात को बढने न देती तो नि चत रुप से इस प्रकार के कत्ल न होते। आज पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है, इसको रोक कर ठीक प्रकार से काम लिया जाए। जींदमें एक डेरे के बाबे की 66 एकड जमीन है जिस पर सत्ता धारी लोगो ने पुलिस के संरक्षण में कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर वहां के लोगो में बडा भारी रोश है। बादली में भी इसी प्रकार के नाजायज कब्जे हुए है। एक तरफ तो पुलिस का मिसयुज कर रहे है और दूसरी तरफ उसके लिए पैसा बढा रहे है, उसकी भर्ती के लिए पैसा बढा रहे है। यह प्रजातत्र में एक खतरनाक बात है। मै प्रार्थना करना चाहता हूं कि

पुलिस के रहन सहन के लिए और खान पान के लिए ठीक इंतजाम करे, इसमें कोई दिक्कत की बात नही है। आज उनसे 24 घंटे की डयूटी ली जाती है जबकि म ीन भी 24 घंटे नही चल सकती। ऐसी व्यवस्था की जाए कि आठ घंटे से ज्यादा उनको थाने में न बैठना पडे। उनका गलत इस्तेमाल न किया जाए और पुलिस का लोगो की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए।

श्री रतन सिंह कटारिया(रादौर–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि सरकार हर वर्श कंसोलीडेटिड फण्ड से करोडो रुपया निकालती है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओ को जनता ने चूंकि इस महान सदन में बडे प्यार से चुन कर भेजा है इसलिए मै अपने हलके के बारे में थोडी सी बात कहना चाहूंगा (ाोर)

Mr. Speaker: Please don't go to Ladwa and Radaur. If you go to Ladwa and Radaur, You will not be allowed to speak. (interruptions)

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, बोलूगा तो मै लाडवा और रादौर के बारे में ही।

Mr. Speaker: Then please take your seat.

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, आर्य जी ने बडी बातें उठाई है और मै बडा धीरज रख रहा था। आर्य साहब के साथ मेरे बडे अच्छे रिले ांज है। इनके साथ मेरे पारिवारिक रिले ांज है। लेकिन जब एक 60 साल का आदमी धीरज नही रख

सकता तो 40 का भी नही रख सकता उसका भी सब्र टूट जाता है और मेरा वह सब्र टूट गया है। अब मै इनकी बातो का जवाब दूंगा। एक तो इन्होने मर्डर का जिक्र किया। वह बात सुबह आ चुकी कि बकायदा केस कोर्ट में चला गया है। बकायदा एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है और दो आदमी अरैस्ट भी हुए है। मै इस बारे में भी इनका कुछ नही कहना चाहता। लेकिन ये अपराधीकरण ओर राजनीतिकरण का जिक्र करते है। ये अपराधीकरण ओर राजनीतिकरण का जिक्र करके उस मर्डर का बहाना लेकर सरकार को बदनाम करते है। स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नही कि पिछले 15–20 दिन से इन लोगो ने उन भट्ठा मजदूरो से भी पैसा इकट्ठा किया। इन लोगो ने वहां से 6–7 लाख रुपया इकट्ठा किया। इन लोगो ने वहां मजदूरो और मालिको का आपस में झगडा करवाया। वहां पर ओर भी दो तीन एफ0 आई आर दर्ज हुई है। इन लोगो ने प्रिवैंटिव मैयर्ज लेकन पुलिस पहुंचने से पहले मजदूरो और भटठा मालिको से पैसा लिया ओर उन्हे आपस मे लडा दिया। वहां पर गोली चली उसमें एक आदमी मरा। इस सरकार ने कोई कोताही नही कि बकायदा सरकार ने उसी वक्त ऐक ान लिया और दो आदमियो को पकड कर अन्दर कर दिया। स्पीकर साहब, इन्होने कहा कि नाजायज कब्जे हुए है। स्पीकर साहब, राजनीतिक प्रवुति ही ऐसी रही है, आपके सामने हरियाणा प्रदे ा का इतिहास रहा है। चौधरी हीरा नन्द आर्य कितनी बार एम0 एल0 ए0 बनकर आए है और इनसे यह भी पूछा जाए कि इन्होने एक एक दिन में कितनी बार पल्टियो खाई हैं। इन्होने एक

एक दिन में सैकडो पल्टियां खाई होगी। इन्होने हरियाणा का नाम आया राम गया राम के नाम से सारे हिन्दुस्तान मेब दनाम कर दिया। (ोम भोम) जहां तक आर्य जी कब्जे की बात करते है, मै इनको उसके बारे में भी बता देता हूं। स्पीकर साहब, मै आन आथ कहता हूं और उधर से चौधरी हीरा नन्द आर्य जी ओन आथ कह दे, कोई इन्कवायरी की जरुरत नही, कि इन्होने भिवानी के अन्दर करोडीमल पार्क में दो मकानो पर खुद कब्जा कर रखा है। यदि इन्होने वहां पर दो मकानो पर खुद कब्जा न कर रखा हो तो ये ओन औथ कह दे मै हाउस छोड दूंगा। स्पीकर साहब, ये कह दे मै इसी वक्त हाउस छोड कर चला जाउंगा। (ाोर) स्पीकर साहब, नाजायज कब्जा ये लोग करते है और इल्जाम सरकार पर लगाते है। सरकार कोई कब्जा नही करती अगर इस सरकार को यह पता लगता है कि कहीं पर कोई नाजायज कब्जा है तो उसको उसी वक्त बकायदा हटाती है। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ जो बात कही गई है वह बिल्कुल गलत बात कही गई है। उस मकान पर मेरा कब्जा किरायेदार के रुप में है। मै बकायदा उसका किराया देता हूं। मेरे उपर जो इल्जाम लगाया गया है वह गलत और निराधार लगाया गया है। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने एक कोठी नही बल्कि दो कोठियो पर कब्जा कर रखा है। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै इस बात से इंकार नही करता। मै वहां पर उन दोनो मकानो मे किराएदार के रुप के रहता हू। उन मकानो का मै किराया देता हूं। यह सरकार इस बारे में इन्कवायारी कर ले यदि कोई गलत बात हो तो मै अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (ाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

Mr. Speaker: Everybody should take his seat and the Finance Minister may please give his reply.

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन):मोहतरिम स्पीकर साहब, इन्होने इस पर कोई नयी बात नही कही है। जो गलत बात कही है उनका जवाब हो मिनिस्टर साहब ने दे दिया है।ये बेकार में हाउस का समय बर्बाद कर रहे है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि हाउस के अगले बिजनैस को टेक अप किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into considerationat once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैडमैंट) हबल 1991

Mr. Speaker: Now the Agriculture Minister will move the motion for consideration of the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Agriculture Minister(Shri Kishan Singh Sangwan): Sir, I beg to move-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Honble Members, I have received a notice of an amendment to this clause from Dr. Harnam Singh, M.L.A. He may please move his amendment.

Dr. Harnam Singh: Sir, I beg to move-

That afterclause (d), the following clauses be added, namely:-

"(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

(g) One nominee of Indian Council of Agricultural Research."

Mr. Speaker: Motion moved-

That afterclause (d), the following clauses be added, namely:-

"(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

डा0 हरनाम सिंह(ाहबाद): स्पीकर साहब, मेरी अमैडमैंट यह है कि अनैक ाचर मे जहां कान्सटीच्यू ान पावर्ज एण्ड ड्यूटीज औफ दि बोर्ड आफ ए कौरस्पोंडिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें इस हाउस के दो मैम्बर्ज जो प्रोग्रेसिव ऐग्रीकल्चर हो, का मो ान होना चाहिए। ये मैम्बर्ज यहां से इलैक्ट हो कर जाये चाहे

वे कोई भी हो जैसे कि दूसरी युनिवसिर्टीज मे जाते है। दूसरी बात मै यह चाहता हूं कि एक ऐग्रीकल्चर वर्कर होना चाहिए जिसका अभी तक इस बिल में प्रावधान नही है। क्योकि ऐग्रीकल्चर वर्कर को खेती का ऐक्सपीरियंस होता है उसे पता होता है कि बडे बडे फार्मो पर कैसे खेती होती है और वहां की क्या क्या समस्याएं है। उनक अपना तजुर्बा खेती के बारे में होता है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें एक एग्रीकल्चरन वर्कर का भी प्रावधान किया जाये। यह भी हमारे विधायको में से ही इलैक्टहो कर जाये। तीसरी बात मै यह चाहता हूं कि इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकलचर रिसर्च का भी एक नौमिनी होना चाहिए ये मेरा अमैडमैंट है। मै समझता हूं कि हाउस के सभी साथी इसका समर्थन करेंगे।

Mr. Speaker: Question is-

That afterclause (d), the following clauses be added, namely:-

"(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Kishan singh Sangwan): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छी अमैडमैंट है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर युनिवर्सिटी के नाम का हम स्वागत करते है। मै नही सारा दे ा और प्रदे ा इसका स्वागत करेगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा रुरल डिवैल्पमैंट (अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब डिवलैपमैंट मिनिस्टर हरियाणा रुरल डिवलैपमैंट (अमैडमैंट) बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करैंगे।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा ग्रामीण विकास (सं ाोधन) विधेयक, 1991 को प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): स्पीकर साहब, माननीय सुभाश कटियाल भी बडा अच्छा अमैडमैंट लाए है। मै चाहूंगा कि इसमें एक और प्रोवाइजी जोड दी जाए। (विघ्न्) जो सदस्य ये नियुक्त करे अच्छा होगी कि 'जिस पंचायत के सदस्य का निधन हुआ हो उस पंचायत की सिफारि ा से ही उसकी जगह सदस्य बनाये' यइ प्रोवाइजी जोड दी जाए।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, इस की कोई जरुरत नही है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा रिलीफ आफ ऐग्रीकल्चरल इनर्डटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्षः अब रेवेन्यू मिनिस्टर हरियाणा रिलीफ औफ ऐग्रीकलचर इनडैटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to introduce the Haryana Relief of Agricultural indebtedness (Amendment) Bill, 1991.

I also beg to move-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebetdness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebetdness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नही है कि यह कानून जिस वक्त बना था, उस वक्त यह एक अच्छा कानून था। मै केवल इसमें एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दो वर्श से यह कानून बना है लेकिन जो प्रगति इस से होनी चाहिए थी, वह नही हुई है। जो राहत गरीब आदमी को दी जानी चाहिए थी, वह नही दी गयी है। स्पीकर साहब, डैट कांसिलिए ान बोर्ड के चेयरमैन डी0 सी0 या

ए0 डी0 सी0 होते है, लेकिन मै समझता हूं कि अगर इनकी जगह पर किसी लायर को या प्रौमिनैन्ट पर्सन का प्रोवीजन कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगीं अगर वहां पर कोई लायर हो या वहां का प्रौमीनैन्ट व्यक्ति हो, उसकी यदि चेयरमैन लगा दिया जाएगा तो वह होल टाईम इस काम को देख सकता है। इसके लिये इसमें प्रोवीजन किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगो को जो कर्जा माफी की राहत थी, वह दे नही पाये है। कई कारणो से उनको यह राहत नही मिल पायी है। अभी तक तो कई लोगो को ज्ञान ही नही है। वह तभी होगा जब हम उनसे ऐप्लीके ान्त वगैरह इन्वाईट करेंगे। प्रगति कभी भी इस बारे में ठीक नही होगी जब तक यह कानून कागजो पर ही रहेगा। यह बात दूसरी है कि भ्ाुरु में जब यह कानून बनाया गया, उस समय यह एक अच्छा कानून था लेकिन सरकार को इससे होने वाली प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: I have received notice of an amendment to this clause from Shri Parmanand, M.L.A. He may mve his amendment.

(The Hon. Member was not present and the amendment was not moved).

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 to 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा बिल है, जो कानून बनने जा रहा है। इसमें उन कैटेगरीज को यह सूविधा दी जा रही है जिनको ये पिछले तीन साढे तीन साल पहले से ऋणी मानते है अगर 'रिट्रौसपैक्टिवली' भाब्द इसमें जोडने का प्रावधान और कर दिया जाए तो इससे गरीब आदमी का काफी फायदा हो जायेगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमैंट)

अमैडमैंट बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैडमैंट बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उस कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 1 stand part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that th Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरीदाबाद कोम्पलैक्स के संबंध मे जो यह बिल पे ा किया हैउसके बारे मै दरखास्त करना चाहूंगा कि फरीदाबाद कोम्पलैक्स के चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की खर्च करने की पावर चाहे आप पांच लाख से बढाकर दस लाख कर दें या पन्द्रह लाख कर दे लेकिन वहां पर जो चुनाव का प्रावधान कर रखा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। वहां का जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह वहां का सब से बडा अधिकारी है। उसके खिलाफ मकानो कोगिराने के बारे में काफी एलीगे ान लगाए गए थे। पिछले दिनो अखबारो में भी आया था कि लोगो की उसने वहां पर बडी तबाही की। वहां से विधान सभा के हमारे आदरणीय जो विधायक उस वक्त थे उन्होने भी कुछ कुछ कहा था। उन्होने इस बारे में गिरफ्तारी भी दी थी और काफी संघर्श भी किया। लोगो को वहां पर काफी परे ाानी रही है। अगर यह सरकार प्रजातंत्र में वि वास रखती है तो इसको वहां प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराने चाहिए और चुनाव करवाकर वहां पर कोई समिति, म्यूनिसिपल कमेटी या कोई और संस्था बनानी चाहिए ताकि वह प्रजातांत्रिक तरीके से लोगो की तकलीफो को दूर कर सके। कई सालो से यह मामला पैंडिंग है। मै समझता हूं कि एक अधिकारी को हमे ाा के लिए अधिकार देना अच्छी बात नही है और यह

प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसलिए मै फिर से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं जाएं ताकि वहां की समस्याओ का समाधान ठीक तरीके से हो सके।

श्री योगे ा चन्द भार्मा (वल्लभगढ): स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद कौम्पलैक्स के चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की खर्च की सीमा को चाहे आप पांच से बढाकर दस लाख कर दे या बीस लाख कर दे लेकिन वहां पर चुनाव न करवाना लोगो के साथ यह सबसे बडा धोखा है जब हम चुना जीतकर आए थे तो चौधरी देवी लाल ने कहा था कि मै डैमोक्रेटिक तरीके सेकाम करुंगा। उन्होने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव करवाए लेकिन वे अधुरे छोड दिए। स्पीकर साहब, फरीदाबाद कोम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रे ान मे बडी भारी धांधली मची हुई है। वहां भ्रश्टाचार पूरे तौर पर फैला हुआ है। लोगो के मकान दुकान बनते है तो वहां के अफसर उन्हे तोडने के लिए पहुंच जाते है और उनसे कहते है कि दस हजार रुपया दो वरना मकान तोड देंगे। अब जिस आदमी ने दो तीन लाख रुपया खर्च किया होता है वह दस हजार रुपया देकर अपना मकान बचा लेता है। वहां के लोग मकान बनाते है और दूसरे ही दिन अधिकारी उसे तोडने पहुंच जाते है। स्पीकर साहब, इस बात से ही उन की कठिनाईयो का अंत नही होता। वहां पर तीन जोन बने हुए है। जब एक अफसर पैसा ले लेता है तो वह बदलकर दूसरे जोन मे चला जाता है और उसके बाद दूसरा अफसर आ जाता है उस

आदमी का खून पीने के लिये। वह दूसरा अफसर मकान पर पहुंच जाता है और मकान मालिक से रि वत मांगता है। इस तरह से वहां पर धांधली मची हुई है। इसलिए मै सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह सरकार भयोर करे कि पार्लियामैंट के चुनाव के साथ ही वहां पर भी चुनाव करायेगी। वहां पर लोगो ने करोडो रुपये लगाकर होटल मकान और दुकाने बनाई है लेकिन वहां पर अफसर उनको तोडने चले आते है और फिर मकान मालिक से सौदेबाजी करते है। आप दस लाख कर दे या बारह लाख कर दे लेकिन ऐसा करके आप उस अफसर को खुली छूट दे रहे है कि वह ताना ाही मचाए। इसलिए वहां पर चुनाव कराने बहुत जरुरी है जिससे लोग चैन की सांस ले सकें। स्पीकर साहब, मेरी सरकार से दरखास्त है कि वहां पर यह ईमानदान अफसर भेजे, भ्रश्टाचारी अफसरो को वहां न भेजा जाए।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा सरकार फरीदाबाद कौम्पलैक्स के मुख्य अधिकारी को पांच लाख रुपये की बजाए दस लाख रुपए खर्च करने की पावर दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि बे ाक यह सीमा बढा दी जाए लेकिन सरकार इस सदन मे यह आ वासन दे कि फरीदाबाद मे नगरपालिका के चुनाव भीघ्राति ीघ्र कराए जाएंगे। स्पीकर साहब, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है ओर दिल्ली के पडोस में है। इसलिए वहां पर प्र ाासन चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। मै यह आ वासन चाहता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी

चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद चाहे वहां पर आप कार्पोरे ान बना दे और चाहे नगरपालिका बना दे तो अच्छी बात होगी। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। बार बार चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा बढाने से फरीदाबाद के लोग दिक्कत महसूस करते है। आप एक अफसर को इतना पैसा खर्च करने की पावर इस तरह से डेलीगेट कर रहे है जिस तरह से कि पार्लियामैंट में लोक लेखा अनुदान पे ा किया जाता है। इसलिए मै चाहूगा कि स्थानीय प्र ाासन मंत्री जी इस बिल में ऐसी कोई क्लाज जोडे ओर हमें वि वास दिलाएं कियह जो अमैडमैंट कर रहे है यह अंतिम होगी।

स्थनीय भाासन मंत्री (श्री कान्ति प्रका ा भल्ला): अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्र ाासक को इस समय पांच लाख रुपए तक खर्च करने और ठेके अनुबन्धित करने की पावर है। चूंकि आजकल सामान वगैरह के रेट्स बढ गए है जिसके कारण से कामो पर ज्यादा पैसा खर्च होता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पांच लाख रुपये की सीमा को बढाकर 10 लाख करने जा रहे है ताकि हमं बार बार सरकार की ऐप्रुवल न लेनी पडे ओर कामो में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट न आने पाए। इस में कोई ऐसी बात नही है जिस के लिए किसी सदस्य महोदय को कोई ऐतराज हो। इसलिए मै आपसे अनुरोध करुंगा कि इस बिल को पास किया जाए क्योंकि यह जो हम करने जा रहे है,यह सारा

जनता के हितो में है। मेरे विचार में इस संबंध में किसी माननीय सदस्य को कोई ऐतराज नही करना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि पंजाब टाउन इम्प्रूमैंट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट पंजाब टाउन इम्प्रूमैंट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे।

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Mr. Speaker: Hon Members, I have received a notice for disapproval of the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990) If the House agrees, this motion and the motion for consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Aryan: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990)

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, मेरी यह दरख्वास्त है कि जब यह हाउस बैठ रहा था तो यहां इस आर्डिनैंस को लाने की क्या ऐमरजैंसी थी। अगर ये बिल ले कर आते और उस पर डिस्क ान हो जाती तो अच्छा होता। ट्रस्टीज़ को लगाने व हटाने की पावर्ज तो पहले ही सरकार के पास है, इस आर्डिनैन्स को यहां लाने की क्या जरुरत थी? इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर इस को वापिस ही ल`ले तो बेहतर रहेगा। इस आर्डिनैंस की कोई जरुरत नही थी। नया जो ढांचा खडा करने जा रहे है, इससे और पैसा खराब होगा।

डा0 हरना सिंह (ाहबाद): अध्यक्ष महोदय, भाहरो में इलैक्टिड म्यूनिसिपल कमेटीज है। एक तरफ तो सरकार के पास रिसोसिर्ज की कमी है दूसरे हम इम्प्रूवमैंट के नाम पर नया ढांचा खडा करने जा रहे है, इससे पैसे की बर्बादी है। अगर म्यूनिसिपल

कमेटीज को ही और पैसा इसकी जगह दे दिया जाए तो मेरे विचार में बेहतर रहेगा। नये आदमी नामजद करने से ज्यादा पैसा खर्च करना पडेगा। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि इस तरह न करके पैसा बचाया जाए और दूसरे इम्प्रूमैन्ट के कामो पर खर्च किया जाए जिससे जनता का हित हो।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को यहां लाने की जरुरत नही थी। इम्प्रूमैंट ट्रस्ट का Chairman is appointed by the State Government on its pleasure. He can be removed from the Chairmanship at any time without pre-condition. Therefore, the Bill seems to be very superfluous. There was no need to bring such a bill. जब नगरपालिकाओ के चुनाव हो गए थे तो उसके ऊपर इम्प्रूमैंट ट्रस्ट बनाने की क्या जरुरत थी? It's all extravagance. इससे एक तो नगरपालिकाओ को ग्रांटस कम मिली और दूसरा तरफ इम्प्रूमैंट ट्रस्ट का जो इंस्टीच्यू ान है उसको मैंटेन करने के लिए सरकार को नगरपालिकाओ से भी ज्यादा खर्चा करना पडता है। नगरपालिकाओ के चुने हुए जो चेयरमैन ओर सदस्य है they are accountable to the people, to the citizens of the State. इम्प्रूमैंट ट्रस्ट जो बनाए गए है इनमें राजनैतिक लोगो केचहेते लोग लगाए जाते है जिनकी कोई अकाउंटेबिल्अी नही होती। इसलिए इस बिल की कोई जरुरत नही है। मै चाहता हूं कि इम्प्रूमैंट ट्रस्ट के इंस्टीच्यू ान को खत्म किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the House disapproves the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990).

The Motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 5

Mr. Speaker: Question is-

That the clause 2 to 5 stand part of the Bill.

the motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That the clause 1 stand part of the Bill.

the motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

the motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move th Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमै।ट हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करैं गे।

Minister of Stte for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय,यह जो बिल सदन मे रखा है मै इसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं। यह जो टोल टैक्स वाली बात है, इसके बारे में निवेदन है कि पहले ही हरियाणा में काफी टैक्सिज है। इसके स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज में लिखा है–

"To enable the Transport Department to levy toll tax on motorized vehicles....."

श्री कान्ति प्रका ा भल्ला: स्पीकर साहब, यह टोल टैक्स वाला बिल नही है वह तो आगे आ रहा है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे पास जो बिल की कापी है उसके स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज मे टोल टैक्स के बारे में लिखा है। या तो इसमें प्रिटिंग की मिस्टेक रह

गई है। (विघ्न) चलो जब वह बिल आएगा तो मै उस समय बोल लूंगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the bill clause by clause.

Sub-Clause 2 and 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ix) दि हरियाणा पब्लिक वफ्कस (ऐक्सटैन् ान आफ लिमिटे ान) बिल, 1991

12:00 बजे

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Wakfs will introduce the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1991 and also move for its consideration.

Minister of State for wakfs (Shri Hasan Mohammad): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Wakfs (Extention of Limitation) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of imitation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of imitation) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इस वक्फ बोर्ड की नालायकी के परिणामस्वरुप यह अमैडमैंट बार बार लाई जा रही है। 1947 से` कर आज तक कम से कम 10 बार अमैडमैं लाई जा चुकी है। हर बार समय बढाने के लिए अमैडमैंट ले आते है और यह अमैडमैंट करने की इसलिए जरुरत पडती है क्योंकि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रोपर्टी है जि पर वह क्लेम करता है उसका पता लगाया जा सके। वक्फ बोर्ड को यह पता ही नही है कि उसकी

प्रोपर्टी कहां कहां पर है और किस तरह से है। यदि वक्फ बोर्ड इतना लायक होता तो उसको अपनी प्रोपर्टी का पता लगा लेना चाहिए था। लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी पर लोगो ने 20–20, 40–40 साल से कब्जा कर रखा है। 40 साल के बाद तो नई पीढी आ जाती है इसलिए अब तो उसपर दूसरी पीढियो का कब्जा हो गया है उस प्रोपर्टी पर दूसरी पीढी के लोग अपना अपना जीवन निर्वाह कर रहे है। अब किस किस को कहे कि यह प्रापर्टी आपकी नही है। यह कैसे पता लगाएं कि वह प्रापर्टी किसके पास है। किसने उस पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड मे जो कर्मचारी हैं वे भी लोगो के साथ ठगी करते है। वे लोगो से पैसा ले लेते है इसलिए लोग प्रोपर्टी नही छोडते ओर जिन लोगो ने वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी पर नाजायज कब्जा कर रखा है वे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते है। इसलिए मै मंत्री जी से गुजारि ा करुंगा किवे यह आ वासन दे कि भविश्य में इस तरह की अमैडमैंट की जरुरत नही पडेगी।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 and

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Wakfs (Shri Hasan Mohammed): Sir, I beg to move-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) दि हरियाणा मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्ज (टोल) बिल, 1991

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Transport will introduce the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Bill, 1991.

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा मोटर परिवहन यान (पथकर) विधेयक, 1991 प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice for disapproval of the Haryana Motr Vehicles (Toll) ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990) from Shri HiraNand Aryan, M.L.A. If the House agree this motion and the

motion fo consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Minister of Statefor Transport (Shri Ved Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Mr. Speaker: Motion moved-

That t0000he House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

श्रीमती कमला वर्मा(यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक तपो भूमि रहा है, देव भूमि रहा है। इस धरती पर भगवान श्री कृश्ण ने गीता का ज्ञान दिया और इसी धरती पर महाभारत का धर्मयुद्ध हुआ। इस प्रदे ा की भौर्य गाथाएं सुन

करके हमें बडा गौरव होता है। लेकिन इसी हरियाणा में कुछ विभिन्न घटनाएं चाहे वे आया राम गया राम की हो, चाहे मेहम की वजह से हुई या लोकतंत्र की हत्या की बात हो, भ्रश्टाचार व जमीन पर अवैध कब्जो की बात हो हरियाणा काफी बदनाम हुआ है। (ाोर एवं व्यवधान) कर्जा माफी और वृद्धावस्था पैं ान की जो स्कीम आई थी उससे हरियाणा के लोगो में कुछ आ ाा जगी थी लेकिन उस आ ाा को भी पिछले एक वर्श से धूमिल कर दिया जग लोगो को समय पर पैं ान मिलती नही ओर कर्जे भी सब लोगो के माफ नही हुए। म ैअब इस नए बिल की बात करती हूं जिसने हरियाणा को और बदनाम कर दिया है। (ाोर एवं व्यवधान) (लोक निर्माण मंत्री की ओर से विघ्न्)

Mr. Speaker: Jagan Nath Ji, she is respected sister. Please take your seat and let her complete her speech.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, आज इन्होने चप्पे चप्पे पर बैरियर्ज खोल रखे है। (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 रघुबीर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, सरकार का एक जिम्मेवार मंत्री बार बार किसी के बोलने पर खडा हो जाता है, यह अच्छी बात नही है। पता नही इनके पेट में क्या गडबड है जिसकी वजह से ये बार बार खडे हो जाते है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इन्होन इस बिल के अन्दर 200 रुपये तक टोल टैक्स लगाने की बात कही है लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 100 रुपये लगा रहे है। इस बारे में मै इनको बताना चाहती हूं कि जब किसी ट्रक को नै ानल परमिट दिया जाता है तो उसकी रजिस्ट्रे ान के वक्त जो प्रान्त उस परमिट में भाामिल होता है उनका पूरा ट्रक्स ले लिया तो फिर ये 100 रुपये टोल टैक्स के रुप में लगाने की क्या आव यकता थी? अब इन्होने इस बिल के जरिए यह प्रावधान किया है कि जब भी किसी दूसरी स्टेट का कोई ट्रक हरियाणा में प्रवे ा करेगा उससे 100 रुपया लिया जायेगा। तो उसका क्या परिणाम होगा वह भी मै आपको बता देती हू। इस टोल टैक्स के लगने से कितना भ्रश्टाचार बढेगा इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते है। आज हरियाणा के अन्दर चप्पे चप्पे पर इन्होने बैरियर्ज खोले हुए है। इन बैरियर्ज पर पहले ही डयूटी देने वाले कर्मचारी रात के अन्धेरे मे टार्च लेकर ट्रक वालो को कहते है कि कागजात दिखाओ या कोई भी गलती निकाल कर रोक लेते है। कुछ ट्रक वालो के साथ पैसे बांधे हुए है। यह एक नया टोल टैक्स लगने से हरियाणा बैरियर्ज पर और अधिक भ्रश्टाचार बढेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै जानती हूं यह ट्रक हरियाणा के बाहर के होंगे। (ट्रेजरो बैंच के कुछ सदस्यो तथा लोक निर्माण मंत्री श्री जगननाथ की तरफ से विघ्न)

Mr. Speaker: This is not the way. I won't permit the Treasury Benches to behave like this. Mr. Jagan Nath ji, you

are a minister. You should not behave like this. I do not like it. let the Hon. Member proceed.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहती हूं कि जो ट्रक बाहर से आते है उन्होने रजिस्ट्रे ान फी तो दी हुई होती है। ट्रक ने ानल परमिट ले कर स्टेट मे आते है फिर यह नया कर भार क्यों? यह जो टैक्स उनसे लिया जा रहा है इसका असर तो ट्रक वालो पर नही बल्कि डायरैक्ट कन्जयूमर्ज पर पडेगा। जनता को पहले ही काफी महंगाई का सामना करना पड रहा है और परिवहन पर इस अतिरिक्त खर्च के कारण महंगाई में और भी बढोतरी होगी क्योकि ट्रक में सामान जो भी लाया या भेजा जाएगा, यह खर्च उपभोक्ता को ही देना होगी जो उचित नही। स्पीकर साहब, मै इस बिल का विरोध करती हूं तथा यह अनुरोध करती हूं कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए (धन्यवाद)।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह जो व्हीकल्ज पर 200 रुपये का टैक्स बेरियान पर लगाने का प्रावधान किया गया है, मे इसके विरोध में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जरा सोचिए कि एक ट्रक क मीर से चलता है पंजाब से गुजरेगा और फिर हरियाणा में प्रवे ा करेगा और फिर दिल्ली पहुंचेगा उसे सब जगह 200 रुपये देने होंगे (विघ्न्) बैरियर्ज पर ट्रको से जो पैसा आएगा उसमें ` हजारो रुपया जेबो में जाएगा। 100 या 200 की ट्रको की पर्ची काट दी तो काटदी नही काटी तो

न सही। बैरियर्ज पर तो पहले ही बहुत ज्यादा करप ान होती है। यह 200 रुपये और वसूल करने से इस करप ान से बढोतरी होगी। हरियाणा को इस बात के लिये माना जाता रहा है कि यहां बैरियर्ज पर कम टैक्स है, इसी कारण सारे दे ा में व्हीकल्ज वाले इसे अच्छा समझते है। अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि इस टैक्स का भार साधारण उपभोक्ता पर ही पडेगा और इससे भ्रश्टाचार को भी ज्यादा बढावा मिलेगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी ने ''भ्रश्टाचार बन्द'' का नारा दिया था लेकिन इस बिल के द्वारा तो सरकार भ्रश्टाचार बन्द करने की बजाए भ्रश्टाचार का प्रबंध कर रही है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Thank you very much, Arya Ji. Please take your seat now.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै इस बिल का विरोध करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हू।

श्री ि ाव प्रसाद(अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, ऐमरजैंसी के बाद सन् 1977 में विपक्ष की पहली सरकार केन्द्र में आई थी जिस ने करप ान को खत्म करने के लिए कदम उठाए थे। जैसे ही सारे दे ा से बैरियर सिस्टम सरकार ने खत्म किया तो सारी करप ान और बेईमानी खत्म हो गई। स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि इस टैक्स को लगाने से सरकार को बहुत ज्यादा आमदनी हो जाएगी ऐसी कोई बात नही है बल्कि इससे

करप्शन और बेईमानी को बहुत बढावा मिलेगा। यहां तक कि जो खाली ट्रक गुजरेगें उनसे भी जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है िसरकार इस टैक्स को वापस ले ले तथा मेरा यह भी कहना है कि इन्सपैक्टरी राज को जितना खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करते हुए मै अपना स्थान ग्रहण करता हू।

श्री राम बिलास भामा(महेन्द्रगढ): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। इस बिल के उद्देश्यो और कारणो से माननीय मंत्री जी ने खुद फरमाया है कि स्थानीय निकायो द्वारा लगाए गए पथ कर से सडक द्वारा माल ले जाने वाले वाहनो की परिचालन कार्यकुशलता प्रभावित हुई है। बहुत अच्छी बात इन्होने यहा पर कही है कि जब लाईन लगती है तब लोगोको असुविधा होती है। पहले पर्ची वहां पर 2–4 रुपए की होती थी लेकिन अब यह कर 200 रुपये तक लगाया जा सकता है। कम से कम जो उन्होने उद्देश्य और कारणो में दिया है, कि उनको 4 रुपये देते हुए असुविधा होती थी यह तो न लिखते। अब तो इन्होने एक ही नाड से उनका कत्ल कर दिया। क्या अब उनको 200 रुपये देने से सुविधा हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार पब्लिक प्रोपर्टी की कस्टेडियन होती है। हरियाणा में जो बाकी कर है, चाहे वह बिजली के रेट्स हो या दूसरे टैक्स हो, कई बार बढ चुके है। बिजली के रेट्स तो तीन बार बढे है।बसो के भाडे भी तीन बार

बढाये गये है। इसलिए अब लोगो को यह भावना है कि ये जो पब्लिककी प्रापर्टी के रखवाले है, ये खुद खा गये है। करोडो रुपये की सौ सौ करोड की प्रोपर्टी जलवा दी। यह जो जजिया कर लगा रहे है। हरियाणा के अन्दर ऐसा करके इन्होने एक नयी परम्परा डाली है। चौधरी वेद सिंह मलिक एक अच्छे घर से संबंध रखने वाले है, मै चाहूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, यह एक नयी परम्परा भुरु करने जा रहे है। हरियाणा सरकार का यह कहना कि उत्तर प्रदे ा में इस तरह का टोल टैक्स पहले से ही था यह उचित नही है। लोगो को पहले ही बडी घबराहट होती थी। जगह जगह टैक्स देने के लिए रुकना पडता है। यह एक बडी ही लज्जाजनक बात है। साथ ही दस बिल मे यह भी लिखा हुआ है कि 200 रुपये से ज्यादा यह टैक्स नही होगा। मै इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक व्हीकल के एक बार हरियाणा में प्रवे ा करने के बाद दूसरी बार उससे टैक्स नही लिया जाएगा, ऐसा किया जाना चाहिए। इसमें तो यह है कि एक दिन में दूसरी बार नही लिया जाएगा। हो सकता है कि एक दिन में वह हरियाण की टैरेटरी पार न कर सके। लम्बे सफर का कोई ट्रक हो और वह हरियाण में रुक जाये तो उसकी तो दूसरी बार टैक्स देना पडेगा। इसलिए मै इसका विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसको पास नही किया जाना चाहिये।

परिवहन राज्य मंत्री(श्री वेद सिंह मलिक): स्पीकर साहब, मेरे साथी इस बिल का विरोध कर रहे थे। मै उनको यह बताना चाहता हूं कि यह केवल हरियाणा स्टेट में ही नही है, उत्तर प्रदे ा मे भी यह टैक्स लगा हुआ है, मध्य प्रदे ा में भी 100 रुपये का यह टैक्स लगा हुआ है, जहां पर हमारे इन भाइयो की सरकार है। यू0 पी0 में भी है और इसके अलावा और कई स्टेटस में यह टैक्स है। हरियाणा में जो गाडियां रजिस्टर्ड है, उन पर तो कोई टैक्स नही है लेकिन जो गाडियां बाहर की है, उन पर यह टैक्स लगता है। इससे 10 लाख से लेकर 14 लाख रुपया रोजाना हमारे खजाने में आता है। यह सारी की सारी गाडियां जब हरियाणा में रजिस्टर हो जाएगी तब इन पर कोई टैक्स नही लगेगा। इस टैक्स से सरकार को काफी फायदा होगा। इसका 10 प्रति ात हिस्सा हम उन म्यूनिस्पिल कमेटीज को देंगे जिनके नाके वहां पर होगे क्योंकि हमने राहदारी खत्म कर दी है। इन भाब्दो के साथ मेरी यह प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That this house disapproves the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That this house disapproves the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clauses 2 to 14

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 14 stand part of the Bill

The motion was lost.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was lost.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Transport (Shri Ved Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the bill be passed.

The motion was lost.

(xii) दि पंजाब विलेज कौमन लैण्डज (रेगुले ान)

हरियाणा अमैडमैंट बिल, 1991

श्री अध्यक्षः अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर पंजाब विपेज कौमन लैण्डज (रैगुले ान) हरियाणा अमैडमैंट बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Development Minister (Shri Subhas Chand Katyal): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह अमैडमैंट इसलिए लाई जा रही है कि यदि ग्राम पंचायत की जमीन पर, भाामलातदेह जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ हो तो उस जमीन को नाजायज कब्जे से छुडाया जा सके। इस अमैडमैंट के जरिए असिस्टैन्ट क्लैकटर को पावर्ज दी जा रही है कि ऐसे मामलो में वह अपनी पावर्ज का इस्तेमाल करके उस पंचायत की जमीन को नाजायज कब्जे से छुडा सकता है। मै इसका स्वागत करता हूं। स्पीकर साहब, मै इस संबंध मे एक बात विस्तार से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालो में बहुत सी भाामलात

जमीनें, पंचायत की जमीनं और आबादी देह की जमीनें खासतौर पर गुडगांव और फरीदाबादके अधिकारियो, कर्मारियो और सत्ताधारियो ने मिलकर मुस्तरका मालिकान के रुप में बदली है। लगभग अठारह बीस गावों में हजारो एकड जमीन पंचायतो के अधिकारियो ने, उस वक्त के एस0 डी0 एम0 डिप्टी कमि नर और पटवारी ने रातो रात इन्तकाल दर्ज किए और रातो रात उन पंचायत की जमीनो पर और भाामलात देह की जमीनो पर कब्जे किए और रातो रात करोडो रुपये की खरीद फरोख्त हो गई। यह काम इतनी जल्दी में किया गया जैसे की लुटपाट हो रही हो। यह जो कुछ किया वह राजनैतिक संरक्षण से किया गया। कुछ राजनैतिक लोग भी है जो आज सत्ता पक्ष मे बैठे है और अपने आपको सुपर मुख्य मंत्री समझते है। ऐसे व्यक्ति भी उनमें भाामिल हो गए। मै समझता हूं कि बिल में अमैडमैंट करके भाामलात देह जमीनो के लिए, पंचायत की जमीनो के लिए नाजायज कब्जो से प्रोटैक ान दे रहे है। यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मै चाहता हूं कि आप हाउसकी एक कमेटी बनाए और वह कमेटी इस चीज की इंक्वायरी कर कि किन लोगो ने गलत तरीके से ऐसी जमीनो पर कब्जे किए है। मै चाहता हूं कि ऐसे लोगो को, जिन्होने करोडो रुपएकी जमीनो का घपला किया है और नाजायज कब्जा किया है, सरकार उनको कहे कि वे सुओमोटो उस जमीन को छोड दे ओर वह जमीन पंचायतो को वापिस दी जाए। स्पीकर साहब, जब समय आएगा तो ऐसे लोगो को कटघरे मे ंखडा किया जाएगा और ऐसे लोगो से जवाब मांगा जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय,जो लोग पावर मे होते है उनको गलतफहमी हो जाती है कि वे सदा रहने वाले है और कई बार उसी गलतफहमी के कारण ऐसे गलत कानून बन जाते है जो बाद में खुद को तकलीफ मे डाल देते है। स्पीकर साहब, इस सदन में बहुत से लोग किसान है। स्पीकर साहब, आप खुद एक किसान है और बहुत बडे और काबिल वकील है। स्पीकर साहब, बिल प्रोवाइजो मे कहा गया है कि गावो में वटबन्दी से पहले, चकबन्दी से पहले जो भूमि वाले किसान थे उनकी कुछ जमीने भाामलात देह से अलग बची हुई थी। खातो के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी थी। थोकवाइज़ वे उसके मालिक होते थे। अब ये इस कानून के तहत तो मुस्तरका मालिकान है, जुमला मालिकान है उनकी सारी जमीन को भाामलात देह में कन्वर्ट करना चाहते है। ये ए0 डी0 सी0 और बी0 डी0 पी0 ओ0 को पावर देना चाहते है कि जो जुमला मालिकान है, मुस्तरका मालिकान है उनकी इच्छा के विरोध में सरकार जब चाहे उसका अधिग्रहण कर ले। बी0 डी0 पी0 ओ0 जब चाहे किसी राजनैतिक आदमी के इ ाारे पर उसका अधिग्रहण कर ले। (विघ्न्)

अध्यक्ष महोदय, बिल के ऊपर बडी गम्भीरता से चर्चा हो रही है और हम उनको ऐसे सुझाव दे रहे है जिसमे लोगो को फायदा है। मंत्री का काम अध्यक्ष महोदय, बडा जिम्मेवारी का होता है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सुभाश कटियाल स्वयं एक किसान है, उनके गांव में भी जमींदार रहते है। उनके स्वयं के

पास भी जमीन है। मै उनके गांव में गया हुआ हू। उनको मै केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वे जो करने जा रहे है इससे गांव में झगडा बढेगा। अध्यक्ष महोदय, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ए0 डी0 सी0 व बी0 डी0 पी0 ओ0 तो हमे ाा रहने वाली नही है। वे तो चले जाते है। परन्तु मुस्तरका मालिकान तो वहां पर हमे ाा ही रहने वाले है। यह एक परम्परा रही है कि जुमला मालिकान की जो जमीन होती है, उसको सभी मिलकर गांव की भलाई के लिए दे देते है। इसलिए इस क्लाज को यहां लाने का कोई लाभ नही है। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय यदि दोबारा इस पर विचार कर लें तो बेहतर रहेगा।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, इसबिल को इसलिए यहां पर लाया गया है ताकि कोई भाामलात देह जमीन को न दबा सके और उसपर डैटरेंट ऐक ान हो सके। इन लोगो ने इस बारे में जो अपने विचार रखे है, वे उचित नही है। हम ने जो बिल रखा है, वह बिल्कुल सही रखा है। इसके साथ साथ मै हाउस को यह भी बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोगो ने कही पर किसी जमीन पर कब्जा नही किया है और न ही किसी से करवाया है। यह इनका कहना बिल्कुल निराधार है। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of an amendment to this clause from Shri Harnam Singh, M.L.A. he may please move his amendment.

Dr. Harnam Singh: Sir, I beg to move-

That in clause 3 of the amending Bill sub-section (5) of section 7 be deleted.

Mr. Speaker: Motion moved-

That in clause 3 of the amending Bill sub-section (5) of section 7 be deleted.

डा0 हरनाम सिंह(ाहबाद): स्पीकर साहब, मेरी अमैडमैंट का मतलब यह है कि जहां तक भाामलात देह जमीन का सवाल है, उससे नाजायज कब्जा हटना चाहिये। स्पीकर साहब, सब सैक ान (5) आफ सैक ान (7) मे ंयह कहा गया है कि Any person who is found in wrongful or unauthorizes possession of the land or other immovable property in shamlat deh and is ordered to be ejected under sub-section (1), he shall be

punishable with imprisonment for a term which may extend to two years. मै अर्ज करना चाहूंगा कि पहले यह प्रावधान किया गया है किहम जमीन से बेदखल करे। चल व अचल संपत्ती का जहां तक सवाल है, उससे तो बेदखल होना ही चाहिये लेकिन मै इस बात को दुरुस्त नही समझताकि बेदखली के साथ साथ उसे सजा भी दी जाए। बेदखली तक तो हमार मकसद रहना चाहिए लेकिन सजा देना हमारा मकसद नही होना चाहिए। अब हम एक आदमी को बेदखल कर सकते है तो फिर उसको सजा देने का प्रावधान क्यों रखा जाए? इसके लिए मै आपको एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं कि जो मकानो पर, दीवारो पर नारे लिख देते है, पेस्टिंग कर देते है, इसके लिए एन्टी डिफेसमैन्ट ऐक्ट बनाया गया था यह देखने के लिएकि कौन डिफेसमैन्ट करता है। लेकिन जब मै सडको पर आता हूं तो देखता हूं कि दीवारो पर जगह जगह जन संदे ा लिखा हुआ है कि जो सरकार की अपनी पार्टी का अखबार है। मै इन से पूछता हूं कि क्या ऐसे लोगो के खिलाफ इन्होने कोई केस दर्ज किया? बिल्कुल नही किया है। इसलिए मै अन्त में इतना ही कहूंगा कि केवल बेदखली की बात ही होनी चाहिये ओर जहां तक सजा देने की बात है, उसको इसमें से डीलीट कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That in clause 3 of amending Bill, sub-section (5) of section 7 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clause 4 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That clause 4 to 6 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was lost.

Title

Mr. Speaker: Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब होम मिनिस्टर हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1991.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of disapproval for the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No.2) of 1990 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. If the House agrees, this motion and the motion for consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990).

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990).

Home Minister (Prof Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो आर्डिनैंस सरकार ने जारी किया था यह आर्डिनैंस कोई पहली बार जारी नही किया गया है। इसको जारी करने से पहले जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट की सैक ान 9 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया थां। उसके बाद दोबारा उसको अमैंड करने के लिए और जजमैंट नलीफाई करने के लिए सरकार ने यह आर्डिनैंस जारी किया। उस दौरान सरकार ने यह पाया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और हो गया। उसके बाद यह जो आर्डिनैंस

किया यह भी गलत है, गैर कानूनी है और यह भी स्टैंड नही कर पाएगा। अब इन्होने जो बिल पे ा किया है उसको और अमैंड करके पे ा किया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार गलत तरीके से और जल्दबाजी मे ये इस प्रकार के अध्यादे ा जारी करते है और कितनी कितनी अमैडमैंट करते है। इसमें एक वि ोश बात यह है कि पहले जो आर्डिनैंस द्वारा अमैडमैंअ की थी उसमें यह किया था कि टैक्स ओन सेल्ज एण्ड परचेजिज होगा। लेकिन अब यह और ही अमैडमैंट आ गई। मै गुजारि ा करुंगा कि ऐसे बिल लाने में यह सरकार जल्दबाजी न करे ताकि रोज रोज अमैडमैंट न करनी पडे। जो व्यापारी है उन्होने पता नही किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया है इसलिए उनके अधिकारो पर डाका न पडे। यह सरकार बताए कि जिन जिन व्यापारियो का सेल्ज टैक्स का ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा तो क्या उन व्यापारियो को वह पैसा रिफण्ड किया जाएगा। उनको यह पैसा रिफण्ड करने के लिए रिफण्ड वाउचर बनाने पडेंगे और रिफण्ड वाउचर बनाते वक्त यह भी देखना पडेगा कि किसका कितना पैसा किस खजाने में जमा है। यह बहुत लम्बा प्रौसेस हो जाएगा। इसलिए मै चाहूंगा कि इस बिल को पास करवाने की बजाय सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए वरना यह जो बार बार अमैडमैंट की जा रही है और जो अब की है यह भी स्टैण्ड नही करेगी, स्ट्रक डाउन हो जाएगी। जब भी किसी ने इसको कोर्ट मे चैलेंज कर दिया तो यह ठहर नही पाएगी। इसलिए मै कहता हू ंकि रोज रोज लोगो को अदालतो में न जाना पडे और सरकार का पैसा भी लिटिगे ान में खर्च न हो

बेहतर यह होगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये और सिलैक्ट कमेटी की रिकमैंडे ांज के बाद इस पर विचार किया जाए। This bill has no positive purpose इसको लाने की जरुरत सिर्फ इसलिए पडी क्योकि हमने कुछ गलत कानून बनाया हुआ था उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया और सरकार के खिलाफ कुछ बात कह दी। उस गलती का रिट्रोस्पैक्टिवली सुधार करने के लिए यह विधेयक के रुप में लाए है। इससे पहले आर्डिनैंस भी जारी किया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह एक गलती सी परम्परा पडती जा रही है कि अपनी जरुरत के मुताबिक कानून में सं ाोधन करते जाएं। कानून बनने से पहले उस कानून को गहराई तक जाना चाहिए और उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एक परम्परा सी बनी हुई है कि हम टैक्सिज लगा रहे है, सक कुछ बढा रहे है। सरकार को अपना वि ालेशण करना चाहिए कि what is the rate of realization. जो टैक्सिज लगातार बिना किसी से सलाह किए लगाए जा रहे है उनका रियलाइजे ान रेट क्या है। हरियाणा में एक पैरलल सिस्टम चल रहा है। to collect the taxes. जो एक वैधानिक सरकार है उससे भी अधिक टैक्सिज इकट्ठे किए हुए है। डिप्टी कमि नर, डी0 ई0 टी0 सी0 और बी0 डी0 ओ0 जनसंदे ा के लिए ऐडवर्टाइजमैंट इकट्ठी कर रहे है। इसके अलावा जो टैक्स महकमे के अधिकारी है उनको यह टारगेट दिया जाता है कि इस साल टैक्स की रियलाइजे ान उतनी होनी चाहिए जिसको

व्यापारी सहन कर सके और यह सरकार खुद मान चुकी है कि सरकार का रेट आफ टैक्स रियलाइजे ान कम है। अध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा में सरकार के पास काबिल आफिसर्ज है। पोजिटिव कानून बनाए जाए ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट में न जाना पडे। मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार का एक करोड रुपया तो दिल्ली और हरियाणा एडवोकेट्स ले जाते है। वह पैसा पोजिटिव कामो पर खर्च हो, दवाईयो पर, पढाई पर खर्चा हो लेकिन यह सरकार खर्चा कर रही है दूसरे कामो पर तो कानून बनाने से पहले उस पर गहराई से विचार होना चाहिए। उसके बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यह जो अमैडमैंट लाई गई है यह इसलिए लाई गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मार पड गई। उस पिटाई से बचने के लिए कानून ही बदल दिया। सरकार ने माना कि हां यह गलत था और फिर उसके बाद एक गलती और कर रहे है। इसलिए मै गुजारि ा करुंगा कि इस पर बहुत गहराई से विचार होना चाहिए और जल्दबाजी में यह विधेयक पास नही होना चाहिए।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, यह मेरी समझ में नही आत कि ये इस अमैडमैंट का विरोध क्यो कर रहे है? स्पीकर साहब, मै इन्हे बताना चाहता हूं कि यह एक अच्छी बात है कि वैल्यू आफ परचेज जो है वह ग्रोस टर्न ओवर में नही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐक्ट की सैक ान 9 को स्ट्रक डाउन कर दिया था इसलिए हमें ये अमैडमैंअ लानी पडी। इसमें

एक तरह का स्टेट का ही इंट्रस्ट है क्योकि किसी व्यक्ति वि ोश से कोई पैसा लेकर सरकार उनको लोगो की भलाई के लिए खर्च करेगी। फिर मेरी समझ में यह नही आता कि ये इसका विरोध क्यों कर रहे है? जिस व्यक्ति वि ोश से पैसा लेकर सरकार लोगो पर खर्च करेगी उसका यह पक्ष क्यो लेना चाहते है।

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, m speech was specific. I said that Supreme Court rejected their pleas.

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस अमैडमैंट का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें एक तरफ एक पार्टी है और दूसरी तरफ स्टेट है। हम जो यह पैसा उस पार्टी से वसूल करेंगे वह लोगो की भलाई के लिए ही खर्च होगा इसलिए इस अमैडमैंट को लाने की जरुरत पडी। (विघ्न) न जाने ये किस पार्टी के पक्ष मे बोलना चाहते है? स्पीकर साहब, मै तो यही कहूंगा कि इस बिल को पास करने में जितनी देर होगी उतना ही हरियाणा का नुकसान होगा। इसलिए मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इसे जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990.)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990.)

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 15

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiii) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी भाराइन बिल, 1991

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill, 1991 and also move for its consideration.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir,I beg to introduce Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 41

Mr. Speaker: Question is-

Clause 2 to 41 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir,I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नजरें इनायत अभी तक तो सरकारी और पंचायतो की

जमीन की तरफ ही थी लेकिन इब इनकी नजर मन्दिरो तक भी जा पहुची हैै यानि अब इन्होने मन्दिरो को भी नही बख्शा है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, यह बहुत ही अच्छी बात है कि आदरणीय भल्ला जी की नजर भी माता के मन्दिरो पर पडी है और इन्होने इन मन्दिरो को अपना लिया है। कुछ मन्दिरो की व्यवस्था ठीक नही है जिस कारण जो श्रद्धालु आते है उनमें देवी देवताओ कें प्रति श्रद्धा मे कमी होती है। स्पीकर साहब, यह बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार की नजर धर्म–कर्म के कार्यो पर भी गई है। मै यह कहना चाहता हूं कि जिस नीयत से आदरणीय भल्ला जी इस बिल को लेकर आए है इसे पारित करने के बाद उसी भावना से लागू भी किया जाना चाहिए। यह बात सही है कि कुछ स्थानो पर मन्दिरो की व्यवस्था ठीक नही है। स्पीकर साहब, 16 मार्च से नवरात्रे भुरु हो रहे है और मनसा देवी के मन्दिर में भारी संख्या में श्रद्धालु द र्न करने हेतु आएंगे। (विघ्न) इस सम्मानित सदन का कोई माननीय साथी वहां जाता है या नही इस बारे में तो मुझे पता नही है लेकिन अफसर गैलरी मे बैठे कई अफसर तो वहां पर जरुर जाते है। (विघ्न) जिस व्यवस्था के लिए यह विधान बनाया जा रहा है, मै यह चाहूंगा कि दक्षिण मे जा कर तिरुपति मन्दिर की व्यवस्था को देख कर इसे लागू किया जाए। वहां जा कर देखना चाहिए कि किस गजब के ढंग से वहां पर काम चल रहा है। उस मन्दिर की आय से युनिवर्सिटी चल रही है, उस पैसे से ट्रांसपोर्ट चल रही है और गरीबो के लिए हस्पताल

चल रहा है। इस बिल को लागू होने के बाद कही ऐसा न हो कि 10 रु की मजदूरी करने वाला मजदूर वहां पर श्रद्धा से जो सवा रुपया चढा कर आए और उस पैसे को भल्ला जी की सरकार खर्च करके बसे खरीदे और खुद ही उसे जलवा दें। इन्हे तिरुपति जा कर मन्दिरो की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए ओर जो पैसा इकट्ठा हो उसकी ठीक व्यवस्था करनी चाहिए तथा श्रद्धालुओ और पब्लिक को दी जाने वाली सुविधाओ पर ही इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए।

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री कान्ति प्रका ा भल्ला): स्पीकर साहब, मै अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के साथ लगते हुए हिमाचल प्रदे ा में जितने भी मन्दिर है उन सबके बोर्ड बना दिए गएहै। हिमाचल प्रदे ा में मेरे आदरणीय साथी राम बिलास जी की पार्टी की सरकार है जहां ज्वाला जी और चिंतपूर्णी मन्दिरो की व्यवस्था के लिए बोर्ड बनाए गए है। जम्मू में भी मन्दिर की व्यवस्था बोर्ड ही करता है। स्पीकर साहब, जो आय होगी उससे जनहित के कार्य किए जाएंगे, इंस्टीच्यू ांज खोले जाएंगे, लोगो के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी तथा मन्दिरो के रख–रखाव का उचित प्रबन्ध किया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the bill be passed.

The motion was carried.

(xiv) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली

(अलाउंसिज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज) अमैडमैंट बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब फाइनैंस मिनिस्टर हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैन ान) सं ाोधन विधेयक, 1991को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker Question is-

The clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was lost.

(xv) दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब रैवेन्यू मिनिस्टर पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैनयोर्ज (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to introduce the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Sir, I algo beg to move-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carriedt.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

डा0 हरनाम सिंह (ाहबाद): स्पीकर साहब, मै आपकी सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल पढने से तो बडा प्रोग्रैसिव लगता है लेकिन इसमें कई एक कमियां है। मै उनके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि यह बात ठीक है कि पहले तो एक मुजारे को नोन–पेमैंट आफ रैंट के आधार पर ही बेदखला किया जाता था। लेकिन अब उसको नही किया जा सकेगा। अब उसको एक मौका मिल जाएगा कि वह रैंट जमा करा कर बेदखली से बच जाएगा। कानून तो यह कहता है कि उसके पास रैंट की रसीद होनी चाहिए लेकिन मालिक रसीद नही देते। जब तीन साल पूरे हो जाते है तो

वे इकटठा तीन साल के रैंट का दावा कर देते है। 6 फसलो का रैंट यानि इतनी बडी रकम वह दोबारा देकर बेदखली से बच सकता है। इसलिए जो यह रसीद नही मिलती इसका भी कोई न कोई इलाज होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसके लिये सरकार जिस तरह से भी हो सके एक साल से ज्यादा का रैन्ट उसकी तरफ नही होना चाहिए। अव्वल में तो एक फसल का रैंट और ज्यादा से ज्यादा एक साल को रैंट उसे वसूलने का अधिकार होना चाहिए। रसीद न देकर वे मुजारे के खिलाफ अदालत में चले जाते है।रसीद उसके पास होती नही, उसको दोबारा पेमैंट करनी पडती है। इसके लिए कोई न कोई प्रोवीजन होना चाहिए ताकि वह मुजारा रैंट का पैसा खजाने में जमा करा सके। उसको दोबारा वह पैसा न देना पडे। इसलिए मेरी दरखास्त यह है कि इसके लिये बे ाक ऐसा कर दें कि वह मुजारा एक एप्लीके ान तहसीलदार को दे, तहसीलदार उस पर आर्डर कर दे और वह पैसा जमा करा दें। तभी इस बिल का सही मं ाा पूरा हो सकेगा। नही तो इसमें यही रहेगा कि तीन साल तक तो वह पैसा भी दे दे और बेदखली के लिए भी तैयार रहे। अगर आप उसको पूरा फायदा देना चाहते हो, उसको पूरा इन्साफ दिलवाना चाहते हेा और इस बिलको प्रोग्रेसिव करना चाहते हो तो मैने जो यह तजवीज दी है, इसको भी इस बिल में जोडने पर विचार किया जाना चाहिये।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प–

जल (प्रदूशण–निवारण तथा नियंत्रण) सं ाोधन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 53) को ग्रहण करने संबंधी

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will move for consideration of the Official Resolution.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to move-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution pass by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practial difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana Considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

Mr. Speaker: Motion moved-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution pass by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practial difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana Considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

Mr. Speaker: Question is-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution pass by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practial difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana Considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

(i) वर्श 1989–90 के लिये हरियाणा राज्य जल प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड कर वार्शिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Sarvshri Hira Nand Arya and Rattan Lal Kataria, M.L.A's for the discussion of the Annual Report of Haryana State Board for the Prevenntion & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Tabl of the House on the 5th March, 1991. श्री हीरा नन्द आर्य मो ान मूव करें।

Shri Hira Nand Arya: Sir I beg to move-

That the Annual Report of Haryana State Board for the Prevetion & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Annual Report of Haryana State Board for the Prevetion & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, मै इस सदन का ध्यान हरियाणा राज्य जल प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की वार्शिक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि अभी जो सरकारी संकल्प पे ा किया गया था वह एक जरुरी संकल्प था। उस मे सभी प्रकार के प्रदूशण चाहे वह जल प्रदूशण हो या वायु प्रदुशण हो, का जिक किया गया है। अध्यक्ष महोदय, दोनो प्रकार के प्रदूशणो के लिए जा कानून है उनके तहत

हरियाणा में एका बोर्ड बना हुआ है। जल प्रदुशण तथा वायु प्रदूशण को दूर करने के लिए पार्लियामैंट ने सब से पहले 1974 में एक एक्ट बनाया। उसके बाद 1981 और 1986 में इस ऐक्ट मे अमैडमैंट की गई जिनको कि हरियाणा प्रदे ा ने एडोप्ट किया। लेकिन फिर भी इस ऐक्ट तथा बाद में की गई अमैडमैंटस की इम्पलीमैंटे ान में कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई जिनके समाधान के लिए पार्लियामैंट ने एक और अमैडमैंट की। अब उस रेजोल्यू ान द्वारा 1988 में की गई अमैडमैंट को एडोप्ट करने जा रहे है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नही है कि आज प्रदूशण जिस प्रकार से फैल रहा है वह केवल मनुश्य के लिए ही नही बल्कि पेड–पौधो के लिए भी एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, हम सांस लेते है और गन्दी हवा छोडते है। उस गन्दी हवा को पेड पौधे अपने में समेट लेते है और हमारे जीने के लिए भाुद्ध हवा छोडते है। इस रिपोर्ट में वि ोश रुप से दिल्ली और हिमाचल प्रदे ा में जो कारखाने जल प्रदूशण फैला रहे है और वायु प्रदूशण फैला रहे है उन पर वि ोश जोर दिया गया है लेकिन हरियाणा के अंदर जो बोर्ड है, उसका जो उद्दे य था वह भाायद पूरा नही हो पा रहा है। हरियाणा के अन्दर जहां जहां जिस प्रकार का प्रदूशण हो रहा है, वह किसा प्रकार का हो रहा है, उस प्रदूशण के मामले में अब तक सरकार के पास या कोई सुझाव आये है। अगर आये है तो उन सुझावो पर सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है? मेरे विचार में अब तक हमारे बोर्ड ने एक काम अव य किया हे कि बोर्ड के

अधिकारी किसी के पास गये और ि ाकायत पर नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद अगर उनकी जेब गर्म हो गई तो ठीक है और आगे से छुटटी हो गयी। इस प्रकार एक प्रदूशण को रोकने के लियें भ्रश्टाचार का दूसारा प्रदूशण फैल रहा है। इसक ऊपर हमें बडी ही गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

स्पीकर साहब, अब हमारे सामने एक बडा अहम सवाल है कि सरकार ने कितनी इकाईयो को प्रदूशण से संबंधित नोटिस जारी किये है और अब तक कितनी इकाईयो के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट मे आगरा और गुडगांव नहरो के जल प्रदूशण की बात कही गई है। इसमें केन्द्रीय बोर्ड की परियोजना में भाग लेने ओर अन्तर्राज्यीय प्रदूशण को रोकने के लिए सहयोग देने की बात कही गयी है। इसमे हिमाचल के परवाणु के उद्योगो का हवाला भी दिया गया है लेकिन हरियाणा के अन्दर जितना प्रदूशण फैल रहा है, उसके बारे में जितनी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए थी, वह नही हो रही है। इसकी रोकथाम के लिये कोई ध्यान नही दिया गया है। इसलिए मै इतना कहना चाहता हूं कि प्रदूशण की रोकथाम के साथ साथ जो भ्रश्टाचार वाला प्रदूशण फैल रहा है, उसको रोकने की ज्यादा जरुरत है। यह बडा महत्वपूर्ण विशय है, इस पर सरकार को अव य ध्यान देना चाहिये।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मे इस विशय में यह कहना चाहता हूं कि आज

प्रदूशण के कारण सारी मानव जाति को बहुत खतरा पैदा हो गया है आपने देखा होगी कि पिछे जो गल्फ बार चली उसके कारण प्रदूशण का वातावरण फैल गया। उस से काली बरसात हुई और मानव जाति के साथ साथ पंक्षियो को भी उसका ि ाकार होना पडा। हरियाणा प्रदे ा के अन्दर भी 2000 इकाईयों को सरकार ने डिटैक्ट किया है जिनके कारण प्रदूशण फैल रहाहै। वैस्टर्न यमुना कैनाल के अन्दर यमुनानगर और जगाधरी की बडी बडी फैक्टरीयों का पानी आता है और उस पानी को गन्दा बनाता है। सैकडो गांव जो इस कैनाल के साथ लगते है, वहां के लोग उस पानी को पीते है जिस कारण से उन्हे तरह तरह की बीमारियो का सामना करता पडता है।

इसी तरह से गन्ने की मिलो का भी बुरा हाल है। भााहबाद के अन्दर एक भाुगर मिल है जिसका पानी बबैन की तरफ जाता है जिस कारण से उस इलाके में बडी गन्दी बदबू होती है। इसलिए मै सरकार से यह निवेदन करुंगा कि जो इस तरह के वास्तविक केसिज़ है, उनको डिटैक्ट करके उनका समाधान किया जाए और लोगो की प्रदूशण से होने वाली बीमारियो से छुटकारा दिलवाया जाए। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

(ii) वर्श 1987–88 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्शिक वित्तीय लेखे

Mr. Speaker: Hon. Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. for the discussion of the Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Villages industries Board for the year 1987-88, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मै इसे मूव नही करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(iii) हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग, 1990 जिसकी अध्यक्षता न्यायाधी ा गुरनाम सिंह ने की थी की रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Sarvshri Hira Nand Arya, Bhag Mal, Rattan Lal Kataria and Ram Bilas Sharma, M.L.A. for the discussion of the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid n the Table of the House on the 5th March, 1991. Shri Hira Nand Arya may please move the motion.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करने से पहले मै एक बात आपके द्वारपा सरकार को बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट जी पे ा की गई है इसके साथ सरकार ने जो गजट नोटिफिके ान की है उसकी कापी नही है। इसें टर्म्ज एण्ड रैफरैंसिज तो द रखे है। जब तक गजट नोटिफिके ान की कापी इसके साथ नही होगी तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करना कोई मायने नही रखता। इसलिए सरकार बताए कि यह एज इट इज है या नोटिफिके ान हुई है दूसरी बात मै और अर्ज करना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट देते वक्त चेयरमैन ने तो कुछ कहा है और जो मैम्ब्र है उन्होने उससे अलग से रिपोर्ट दी है। अब सरकार यह बताए कि अगर कोई गजट नोटिफिके ान किया है वह चेयरमैन की रिपोर्ट के बेस पर किया है या मैम्बरो की रिपोर्ट के बेस पर किया है या दोनो से अलग किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर राजपूत इसमें भाामिल नही है। पहले सरकार स्थिती स्पश्ट कर दे उसके बाद ही मै कुछ कह पाऊंगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता(भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मै आपकी इजाजत से केवल एक बात रखना चाहता हूं कि गुरनाम सिह कमि ान की जो रिपोर्ट आई, इसमे जिन जिन जातियो को बैकवर्ड में भाामिल किया, उससे मुझे कोई एतराज नही है। लेकिन

मै एक बात कहना चाहता हूं कि अपर कास्ट को जो पांच परसैंट रिजर्वे ान दी गई है वह बहुत कम है। ब्राहमण के साथ गरीब भाब्द जुडा हुआ है। लोग कहे है कि बेचारा गरीब ब्राहमण है। (विघ्न) बनियो मे भी जो गरीब है। अध्यक्ष महोदय, मै आपको एक बनिए की मिसाल बताता हूं। मेरे पास एक बनिया आया। वह ऐडहाक पर चपडासी लगा हुआ था और उसकी आठ साल की सर्विस हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरी सर्विस हटा दी है। उसने बताया कि मेरे घर में पांच मैम्बर है ओर वे मेरी ही तन्ख्वाह पर डिपैन्ड करते है। मेरी कमाई का कोई और साधन नही है। तो ऐसे बनिए भी बहुत है और ब्राहमण भी बहुत है। पंजाबीयो के अन्दर भी बहुत सारे ऐसे है। वी0 पी0 सिंह जी ने भी पार्लियामैंट के अन्दर यह कहा था कि अपर कास्ट मे दस से पन्द्रह परसैन्ट तक रिजर्वे ान दी जाए। तो यह रिजर्वे ान पांच परसैन्ट से बढा कर 15 प्रति ात होनी चाहिए।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, गुरनाम सिंह रिपोर्ट में जिन जिन जातियो के बारे में उन्होने अपने रिमार्कस दिए है उनके बारे में मेरा कोई मतभेद नही है। स्पीकर साहब, यह महान सदन जानता है कि हिन्दुस्तान की हजारो सालो तक गुलामी सहनी पडी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, मुझे इलैबोरे ान नही चाहिए। आप इसी रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहे वह कहें। आपको सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिए मिलेंगे।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै पांच मिनट ही बोलूंगा, छटा मिनट नही लूंगा। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान को हजारो साल गुलामी सहनी पडी लेकिन जब इस दे ा के नेताओ और भाहीदो ने इस दे ा को आजाद कराया और उसके बाद जब संविधान बना तो उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि आजाद मुल्क के अन्दर जो लोग हजारो सालो तक पीडित रहे उनको समाज में बराबर के हक दिए जाएं। जो लोग पीडित है, जो लोग दलित है, जो लोग आर्थिक दृश्टी से बैकवर्ड है ऐसे लोगो को आरक्षण की सुविधाएं देनी चाहिए। चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे कोई ऋण देने का मामला हो और चाहे उनका सो ाल स्टेटस उपर उठाने का मामला हो।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, आप पिछली बातो पर न जाएं आप इसी रिपोर्ट से संबंधित बोले।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै इसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, आप अपनी बात दो मिनट में खत्म करें।

श्री रतन लाल कटारियाः ठीक है जी, मै दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। हरियाणा सरकान ने जिन जातियो को इसमें बैनिफिट दने के लिए प्रावधान किया है पहले उन जातियो के बारे में हरियाणा सरकार ने सर्वे किया होगा। सर्वे

करने के बाद ही यह पता लगा होगा कि ये जातियां डिजर्व करती है, लेकिन कई बार इस प्रकार की उंगलियां उठ जाती है कि जो जातियां अपने आपको मा र्ल रेस कहलाया करती थी और जिन्होने इस दे ा के लिए बडी बडी कुर्बानियां दी उन मा र्ल रेसिज़ को इसमें सम्मलित किया गया है। आप जानते है कि इस दे ा में गरीबी फैली हुई है उससे जाट, राजपूत, ब्राहमण और बनिया भी पीडित हो सकते है। उनके लिए जो 5 परसैंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके बारे में मेरी प्रार्थना है कि अगर कुछ देना ही है तो कम से कम उनको भी 15 परसैट आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, आप बैठिए। श्री राम बिलास भार्मा।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, एक बडा महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखा गया है जिसके ऊपर सदन से बाहर भी बडी भारी चर्चा हुई है। इसी सरकार ने इसी सदन में कहा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट का बडा भारी विरोा हुआ और उस विरोघ के तेवर बहुत ऊपर थे। इस छोटे से प्रान्त में इस सदन की सूचना के अनुसार 18 लोगो नै आत्म हत्याएं की ओर 42.6 करोड रुपए की हानि इस प्रदे ा में हुई स्वीकार की गई। अध्यक्ष महोदय, कभी भी चाहे किसी का रहा, कु ाल प्र ाासक और इतिहासकार ने लिखा है कि जिसने अपने विरोध की जांच स्वयं की, लोगो की ग्रिवैंसिज को ढूंढ करके पता

किया, चाहे वह विक्रमादित्य राजा था, चाहे वह राजा रामचन्द्र था वह कामयाब रहा। राजा रामचन्द्र ने तो छाजू नाम के एक छोटे से गरीब आदमी के कहने से अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी। उन्होने कहा था कि राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अगर प्रजा का एक आदमी भी मेरी किसी बात का विरोध करता है तो मेरे लिए उस विरोध की कीमत है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने गुरनाम सिंह कमि ान बनाया। इस सरकार ने इस सदन में कहा कि जो मण्डल कमि ान की रिपोर्ट थी वह गलत समय पर लागू कर दी गई और उस रिपोर्ट को लागू करने से पहले किसी से सलाह नही की गई। इन्होने तो कह दिया कि हमारी 9 तारीख की रैली से हिंदुस्तान के गरीबो में एक चेतना आनी थी, उससे बचने के लिए बी0 पी0 सिंह ने 7 अगस्त को वह मण्डल कमि ान की रिपोर्ट जारी कर दी। हमारे मित्रो ने मण्डल कमि ान की रिपोर्ट से बचने के लिए भाायद गुरनाम सिंह कमि ान बना दिया। अध्यक्ष महोदय, जो प्र ाासक होता है वह न सुनने का आदि नही होता। हमारे गांवो में एक कहावत है कि घर की बही और काको लिखणियो चाहे किमे लिख लो। अध्यक्ष महोदय, मै श्री नर सिंह ढांडा की बारात में गया था। नर सिंह ढाडा मेरे बडे प्रिय मित्र है।

श्री अध्यक्षः कौन सी बारात में? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्माः पहली बारात में। मै वैसे तो पे ो से किसान हूं, खेती करता हूं परन्तु जन्म से मेरे जिम्मे एक जिम्मेदारी और भी है कि अगर मेरा कोई जजमान अटका रह जाए,

उसका ब्याह न होता हो तो उसका मै ब्याह भी करवाता हूं? (हंसी)

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): स्पीकर साहब, भार्मा जी मेरी भाादी के बारे में कह रहे है। इन्होने यह भी कहा कि यदि किसी आदमी का ब्याह नही होता हो तो मै यह भी करवता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय डाक्टर मंगल सैन जी भगवान को प्यारे हो गए, इन्होने उसका ब्याह क्यों नही करवाया। (विघ्न्)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम नर सिंह ढांडा जी की भाादी में बडे बढ–चढ कर के गए और इनकी भाादी करवा कर लाए। भाई को घोडी पर बैठा कर लाए। उसके बाद मुझे इनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। (ाोर) स्पीकर साहब, उसके बाद गुरनाम सिंह कमि ान की रिपोर्ट लागू करने के बाद जब ये घर गए तो मुझे भी इनके घर जाने का मौका मिला। उसी समय इनकी चौधरन कहने लगी कि मै मालिकां की छोरी हूं अब तूं पंडे को हाथ नही लगाना क्योंकि अब तुम बैकवर्ड हो गए हो। (हसी) स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को लागू करके इन्होने घर–घर में झगडे भाुरु करवा दिए है और विवाद पैदा कर दिए है। स्पीकर साहब, एक दिन मै रोहतक में किंग्जवे कैम्प मे था (विघ्न)

प ुपालन राज्य मंत्री (श्री कुलबीर सिंह मलिक): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होने कहा था कि ढाडा साहब की भाादी इन्होने कराई थी। मै पूछना चाहता हू कि क्या इनकी कराई हुई भाादी टूटेगी तो नही? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: हमारी कराई हुई भाादी तो जरुर टिकेगी लेकिन जो तुम लोग कोर्ट में जाकर भाादी करने लगे हो वह जरुर टूटेगी। (हंसी)

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मै पंडितो की एक बात आपको बताना चाहता हू। एक बार भाादियो का सीजन जोरो से चल रहा था। उस समय एक पंडित जी ने बहुत सारी भाादियां कराये जाने का जिम्मा अपने उपर ले लिया। एक दो भाादी ठीक कराये जाने के बाद अन्य भाादियो को कराये जाने के चक्कर में वह किसी भाादी में एक फेरा करा कर भाादी खत्मकर देता और किसी में दो फेरे या तीन फेरे कराकर भाादी को खत्म कर देता। जब एक जाट की भाादी वह कराने पहुंचा तो वहां पर भी एक दो फेरे करवा कर जब भाादी खत्म करने लगा तो वह जाट कहने लगा कि पंडित जी भाादी तो 7 फेरो में पूरी होती है, आप दो तीन फेरो में पूरी भाादी कैसे कर रहे है।? इस पर पंडित कहने लगा कि अगर इसने टिकना है तो दो फेरो में भी टिक जाएगी नही तो फिर यह 7 फेरो में भी नही टिकेगी (हंसी) स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन द्वारा कराई गई भाादी क्या टिकेगी? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैने तो पहले ही कहा है कि हमारी कराई हुई भाादी तो जरुर टिकेगी। (विघ्न्)

श्री कुलबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इसी तरह से एक बार एक पंडित किसी भाादी में फेरे करा रहा था और साथ में गणे ा जी की मूर्ती रखी हुई थी। फेरे कराते कराते वह कहने लगा कि एक रुपया गणे ा जी के नाम का। भाादी वाला एक रुपया रख देता था। थोडी देरी बाद फिर कहने लगा कि रख एक रुपया तो वह फिर रख देता था। इसी प्रकार वह 5 रुपये रख चुका था। उस आदमी ने बाद में तंग आकर पंडित का गणे ा चुरा लिया। जब थोडी देर बाद पंडित फिर कहने लगा कि रख एक रुपया तो वह आदमी कहने लगा कि पंडित तेा गणे ा तो पहले ही मेरे पांच रुपए चुरा कर भाग गया अब किस नाम के पैसे? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इन रिपोर्ट का मलिक साहब को भी दु:ख है क्योकि इस रिपोर्ट के आने से इन पर भी असर पडा है। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरनाम सिंह की रिपोर्ट आई है वह राजनीति से प्रेरित है, गरीब लोगो की भलाई के लिए नही है। प्रिंसिपल आफ इक्वैलिटी के हिसाब से भी यह गलत है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मण्डल कमी ान की रिपोर्ट गलत है और दूसरी तरफ खुद सरकार द्वारा गुरनाम सिंह आयोग उसी तरह का बैठाया जाता है। (विघ्न) यह आयोग क्यों बैठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्डर

कर रखे है कि कोई भी स्टेट 50 प्रति ात से अधिक रिजर्वे ान नही कर सकती? स्पीकर साहब, रिजर्वे ान की बात कहां से आई वह भी मै बता देता हू। राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा, एक कम्पीटी ान होता है टेलेंट को परमोट करने का। दुनिया के जिन दे ाो ने विकास की चरम सीमा को छुआ है उन दे ाो ने टेलैंट को परमोट किया है यह आज तक हमने नही देखा कि कोई स्टेट गवर्नमैंट टैलेंट को परमोट करने की बजाये उसे डिमोट करे। राजनीति की बात अलग है लेकिन हमने टैलेंट को डिमाट होते नही देखा। स्पीकर साहब, इसमें गरीब के कल्याण की भावना नही है। (विघ्न) गरीबो के कल्याण की बजाए यह तो राजनैतिक स्वार्थ की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक कमि ान मुकर्रर होता है (विघ्न) यह कमि ान 17सितम्बर को विधिवत् रुप से कान्सटीच्यूट हुआ और एक माननीय रिटायर्ड न्यायधी ा श्री गुरनाम सिंह को इस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले मेहम की एक जनसभा में दे ा के डिप्टी प्राईम मिनिस्टर ने यह घोशण की कि हम फलां–फलां जातियो को रिजर्वे ान दे रहे है। (विघ्न) उप प्रधान मंत्री जी ने कहा अरे बावलो थाने के बेरा कि हरियाणा का राज कौन चलावे। आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 हरियाणे का राज चलावे इनकी गिनी 200 सै। इन दो सौ मे से 70 बनिया, 70 पंजाबी और 70 पंडित है। किसी ने कहा कि यह तो 210 हो गये तो उप प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया कि 10–20 का मेरी संख्या मे कोई फर्क नही पडता अध्यक्ष महोदय, गुरनाम सिंह कमी ान से पहले ही बाप–बेटे ने जगह जगह घोशणा कर दी कि हम

नौकरियो में फला–फलां जातियो को रिजर्वे ान दे रहे है। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक राजनैतिक नारा है, गरीबो के भले की इसमें कोई बात नही है।

Mr. Speakr: Please wind up now.

श्री राम बिलास भार्मा: कमी ान के सैक्रेटरी हमारे योग्य अफसर डा0 सुखबीर सिंह जी ने हम को चिटिठयां लिखी जिनका हमने जवाब दिया। वे चिटिठयां इस रिपोर्ट में इनकार्पोरेट की गई है। हमारे जनता दल के साथी राव राम नारायण ने भी कमी ान को चिटठी लिखी थी। बैकवर्ड क्लासिज़ को आईडैंटिफाई करने के लिए दो बार नोटिफिके ान हुई जिसे इस कमी ान के कान्सटीच्यू ान में माना गया है। पहले नोटिफिके ान में यह कहा गया है That this Commission is constituted to identify backward classes whether they may be educationally backward or socially backward. Then they incorporated the second terms of reference regarding economically backwardness. कई इक्नोमिकली बैकवर्ड लोग भी है जिनको इसमें भाामिल किया जाए। हमारे योग्य अफसर डा0 सुखबीर सिंह जी ने जिन लोगो को पत्र लिखे उनमें से एक के जवाब में हमारे साथी राव राम नारायण ने पत्र लिखा था जिस बिरादरी से वे है उसे भी इसमें भाामिल किया गया है। हमें इस बात की खु ाी है। राव राम नारायण जी ने जो पत्र लिखा उस में उन्होने सच्चाई ब्यान की है। उस मे यह कहा गा है कि जो गौड ब्राहमण, राजपूत, जाट जातियां है, they are forward. Thery are

not socially backward. Thery are socially forward as far as services quots is concerned and as far as their social status is concerned. आज हरियाणा में जो पिछडे लोग है उनको सहारा मिले तो यह अच्छी बात है। यदि सरकार उनको कुछ मदद देती है तो हम उसका स्वागत करते है। भारत के संविधान में बाबा भीम राम अम्बेडकर जी ने हरिजनो और पिछडे लोगो की सहायता के लिए, उनको सुविधा देने के लिए एक परम्परा जोडी थी जिसके कारण गरीबो और हरिजनो को रिजर्वे ान की सुविधा दी गई थी जिसके कारण गरीबो और हरिजनो को रिजर्वे ान की सुविधा दी गई थी ताकि भाताब्दियो तक उनका जो भाोशण होता रहा, उनका भी सामाजिक स्तर उंच उठ सके। अध्यक्ष महोदय, यह जो गुरनाम सिंह कमी ान की रिपोर्ट है यह तो उन गरीबो के हितो को चोट पहुंचाने की एक साजि ा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि आज का युग अथ्रप्रधान युग है। चाहे कोई कितना भी बडा विद्वान हो, उसके पुरखे चाहे कितने भी बडे रहे हो लेकिन आज अगर उसके पास गांव में जमीन नही है, उसके पास पैसा नही है तो समाज मे उसका कोई स्थान नही, कोई सम्मान नही। आज अगर कोई रामलीला का उद्घाटन भी करवाना चाहता है तो किसी गरीब विद्वान को नही ढूंढा जाता बल्कि ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाता है जो कम से कम 100 रुपये दे। अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि आज का युग अर्थ–प्रधान युग है इसलिए इसका जो काईटेरिया होना चाहिए था वह आर्थिक ही होना चाहिए था। चौधरी राम नारायण सिंह जो एम0 पी0 थे और हरियाणा के

काबिल आई0 ए0 एस0 अफसर रहे थे। He also asserted my point. His sentiments have been incorporated in this Report. He opined that-

The true measure of judgeing backwardness shuld be the social, educational and economic status of the person or the group of persons concerned.

Therefore, Sir, the basic principle to identify backwardness should be the economic status of the person.

Mr. Speaker Please take your seat now.

श्री राब बिलास भार्मा: यह जो गुरनाम सिंह कमी ान रिपोर्ट है इसके पीछे अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक नारे के अलावा और कुछ भी नही है। यह सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए है। इसके अलावा यह कुछ भी नही है। इनको इसमें आर्थिक आधार बेसिज रखना चाहिये था। लेकिन यह सब कुछ गरीबो के हितो को ताक पर रख कर किया गया है। धन्यवाद।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, 7 सितम्बर 1990 को यह गुरानाम सिंह कमी ान बनाया गया और रिटायर्ड जस्टिस श्री गुरनाम सिह इसके चेयरमैन बनाए गए। मेरे साथी राम बिलास जी ने और दूसरे कई साथियो ने भी यह कहा कि मंडल कमि ान के विरुद्ध यह गुरनाम सिंह कमी ान बिठाया गया। स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है। मंडल कमी ान के बाकायदा हम पक्षधर है। हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी ने इसकी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बकायदा जेले काटी है और इनके लिए

बकायदा संघर्श करते रहे है। हमने बकायदा इसको स्पोर्ट किया है। अब इन्होने यह कहा कि यह हो गया, वह हो गया, तनाव हो गया। जब ऐसी बात हुई तो हमने उससे एक्सपीरियेंस लिया। अनुभव का फायदा लिया कि कोई भी रिपोर्ट लागू करनी हो तो बकायदा सोच कर लागू करनी चाहिये। हमने ऐसा सोचा की पहले लोगो में अपनी बात को ले जाए। लोगो को हम समझाएं। अखबारो के माध्यम से समझाएं, जलसो के माध्यम से समझायें, लोगो तक यह बा जानी चाहिये कि सरकार क्या करने जा रही है। इसमें कोई दो राय नही है कि मंडल कमी ान रिपोर्ट इस तरह से लागू नही हुई। हालांकि सारे इसको चाहते है लेकिन जब यह मंडल कमी ान की रिपोर्ट आयी तो हम लोग किसी भी आदमी को यह समझानही पाये कि यह रिपोर्ट क्या है। जैसे राम बिलास जी ने कहा, अकेले हरियाणाके अन्दर ही नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां 18 के करीब सुसाईड कर गए। उनकी इस नादानी से हमको नुकसान हुआ। लेकिन वे नादान इसको समझ नही पायें कि इससे उनको कोई नुकसान नही होना था। इसके साथ ही स्टेट की प्रोपर्टी का भी नुकसान हुआ है। सारी बातें इस प्रकार से हुई है। अब सरकार ने इसलिए बार बार मिटिंग्ज करी, लोगो की बातें सुनी। हर जिले के अन्दर वह कमी ान गया । उसने लोगो कीबातें सुनी। रिप्रेजेटे ान लोगो से लिये। अखबारो में उसका जिक्र भी आया। जलसो में और पब्लिक मीटिंग्ज के द्वारा जैसे उन्होने यह कहा कि बाबू–बेटा इसका समर्थन कर रहे थे, हमने बकायदा इसका समर्थन किया, प्रचार किया कि ये चीजे हम चाहते

है। सरकार की यह इंटें ान है। अगर हमें यह कमी ान रिपोर्ट दे देता है तो सरकार उसको लागू करेगी, यू ही नही किया है। जाने अनजाने में लागू नही किया है। हमने बकायदा सोच समझ कर इसे लागू किया है। इसमें कोई दो राय नही है कि ऐसा सोच कर किया गया कि ऐसी कम्यूनीटीज भी है जो आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर और ि ाक्षा के तौर पर बडी बैकवर्ड है। उनकी बहुत बुरी द ाा है। अकेली चौधराहट से बात नही बनने वाली। जैसे राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि आज अर्थ की कीमत है। अर्थ का मतलब यह है कि उन लोगो की आर्थिक द ाा सुधारी जाए। हमने उनकी आर्थिक द ाा सुधारनी चाही है। गुरनाम सिंह कमी ान ने अपनी रिपोर्ट में पवायंट आउट किया है कि इन कम्यूनीटिज को रिजर्वे ान दी जाये ताकि ये नौकरियो में आ पायें। (व्यवधान एवं भाोर) स्पीकर साहब, मंडल कमी ान की रिपोर्ट में कोई प्रोवीजन नही था कि लोगो को पढाया कैसे जायेगा, जब पढे लिखे लोग ही नही होगे तो नौकरी में कैसे आयेंगे। आप उनको कैसे नौकरी दे पाआगे। लेकिन इसमें दोनो बाते है। स्पीकर साहब, कैसे उनको नौकरियां दी जाएगी और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीजे इसमें प्वायंट आउट की गयी है। दोनो चीजो का इसमें प्रोवीजन है। एजुके ानल इंस्टीच्यू ान के अन्दर और प्रोफै ानल इंस्टीच्यू ान के अन्दर भी नके लिए रिजर्वे ान है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद नौकरी नही मिलती है तो कैसे किया जायेगा। यह बात नही है कि टोटल जाि को ही रिजर्वे ान दी जायेगी। एक परिवार में एक

आदमी आई0 ए0 एस0 है। कोई बहुत बडा जमींदार है या बहुत बडा बिजनैसमैन है और चांस है कि वह बैकवर्ड क्लासिज या ि ाडयूल्ड कास्टस कम्यूनिटीज के अन्दर आता है तो उसको तो रिजर्वे ान दी जायेगी क्योकि वह सदिया से पीडित रहे है। इसलिए बैकवर्ड क्लासिज और ि ाडयूल्ड कास्टस दोनो के लिए जो रिजर्वे ान दी हुई है, वह तो ठीक है लेकिन अदर दैन बैकवर्ड क्लासिज यानि ओ0 बी0 सी0 के अन्दर अगर सब के लिए रिजर्वे ान कर दी जाती तो यह एक बहुत बडा अन्याय होता जैसे की पहले ही रहा है। स्पीकर साहब, एक परिवार में दस दस आदमी रिजर्वे ान का फायदा उठा रहे है। पब्लिक स्कूलो में जिनके बच्चे पढ रहे है और वे आफिसर है वे लोग भी रिजर्वे ान का फायदा ले रहे है। कमी ान की इस रिपोर्ट में ऐसी बात नही है। इस रिपोर्ट में कुछ कंडी ांजन रखी है कि कौन कौन से लोग रिजर्वे ान के फायदे के अधिकारी नही होगे। स्पीकर साहब, मै बताता हूं कि कौन कौन लोग इस फायदे के अधिकारी नही होंगे। क्लास वन, क्लाव टू के अधिकारियो को फायदा नही होगा। जो लोग प्राइवेट जाब में है और क्लासवन और क्लास टू के अधिकारियो के बराबर तन्ख्वाह ले रहे है उनको फायदा नही होगा। डाक्टर, लायर्ज, चार्टिड अकाउटैंट, इंजीनियर इनको फायदा नही होगा। जो इंकम टैक्स देते है और जो सेल्ज टैक्स असैसी है उनको फायदा नही होगा। जिन लोगो के पास आठ एकड से ज्यादा जमीन है उनको फायदा नही होगा। लैक्चर्ज है, प्रोफैसर्ज है उनको फायदा नही होगा। स्पीकर साहब, इतनी कैटेगरीज है

जिनको रिजर्वे ान का फायदा नही होगा। पूरी तरह से सोचकर यह रिपोर्ट लागू की गई है ताकि गरीब आदमी को इससे फायदा हो।

(iv) वर्श 1988–89 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग लिमिटेड की 21वीं वार्शिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A for the discussion of the 21st Annual Report and Accounts of Haryan Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1987-88. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै इसको मूव नही करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(v) वर्श 1988–89 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग लिमिटेड की 22वीं वार्शिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon' Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A for the discussion of the 22nd Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1988-89. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै इसको मूव नही करना चाहता।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

वक्तव्य–

गृह मंत्री द्वारा मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान श्री सूरज भान, एम0 एल0 ए0 के घर पर हुए हमले संबंधी

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इस सै ान के दौरान चौधरी सूरज भान के मकान को आग लगाने के बारे में कई बार चर्चा हुई थी और 4–3–1991 को तारांकित प्र न सं0 1220 पर हुए सप्लीमैंटरी का जवाब देते हुए मैने कहा था कि इसी सै ान के दौरान मै सदन को इस केस की जानकारी दूंगा। इसलिए मै इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, 21–9–1990 को एक भीड ने चौधरी सूरज भान के मकान पर अटैक किया था। सवाल यह था कि केस दर्ज हुआ या नही। मै सदन को बताना चाहता हूं कि केस एफ0 आई आर0 नं0 319 दिनांक 21–9–1990 को अन्डर सैक ान 147, 148, 149, 151, 152, 427, 332, 353, 354, 380, 435, 436, 477, 186, 188, दर्ज हुआ था। स्पीकर साहब, यह केस अम्बाला कैंटमें दर्ज हुआ था। इस केस में तीन आदमी गिरफ्तार किए जा चुके है और कुछ लोगो को आइडैटिफाई किया जा रहा है। इसलिए स्पीकर साहब, यह केस अभी अन्डर इंवैस्टीगे ान है।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मैने कहा था कि ए0 एस0 आई0 को मैने जो स्टेटमैंट लिखवाया था उसमें तीन आदमियो के नाम लिखवाये थें। उनको मै पहचानता हूं। उनके हाथ में तेल के पीपे थे। वे आदमी थे संजय मिततल, सुखलाल और अर्जून लाल कालडा। मै जानना चाहता हूं कि क्या इन तीनो आदमियो को पूलिस स्टे ान में बुलाया गया और क्या इनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दज की गईऔर क्या इनको गिरफ्तार किया गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, बकायदा इन्होने जो स्टेटमैंट दी थी उसको लिखा गया था। इन तीनो को थाने में बुलाया गया। इनमें से एक संजय मिततल को गिरफ्तार किया गया। दूसरे के बारे में जांच चल रही है कि आया ये लोग भी उसमें इंवाल्व थे। स्पीकर साहब, तीस आदमी टोटल अरैस्ट किए गए है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि तीस आदमी गिरफ्तार किए गए है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपने स्टेटमैंट में तीन लोगो के नाम लिखवाए और कहा कि मै इन तीनो आदमियो को पहचानता हूं। इन तीनो के नाम बताए। एक का नाम अर्जुन लाल कालडा लिखवाया। उस आदमी ने चुनाव लडा लेकिन उसको फिर सर्विस में ले लिया और पानीपत में नगरपालिका सैक्रेटरी लगा

दिया। मै पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उसको गिरफ्तार क्यों नही किया?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, केवल मांत्र नाम लेना ही काफी नही जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाए। बकायदा तीस आदमी गिरफ्तार किए गए और केस की फरदर इंवैस्टीगे ान पैंडिंग है।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am thankful to all sections of the House for the cooperation extended to me in conducting the proceedings of the House.

अब हाउस साइने डाइ ऐडजर्न किया जाता है।

13:34 बजे

(तत्प चात् सदन अनि चत काल के लिए स्थगित हुआ।)